फा. सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

डाक भवन,संसद मार्ग
नई दिल्ली-11001
दिनांक 24.09.2019

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्ट मास्टर जनरल,

विषय- कमलेश चन्द्र कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए कार्यालयों ज्ञापनों का हिन्दी अनुवाद ।

कमलेश चन्द्र कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों के हिन्दी अनुवाद की प्रतियां सभी संबंधितों को परिचालित करने हेतु प्रेषित है :-

1. ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों के संबंध में गठित सदस्यीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वय । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 25.06.2019)**

2. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस 17 अक्टूबर,2018)**

3. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस 30 अक्टूबर,2018)**

4. ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना की शुरूआत के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस 14 दिसंबर,2018)**

5. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों की आकस्मिम छुटटी प्रदान करने के संबंध में कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस, दिनांक 02 जनवरी,2019)**

6. ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस,दिनांक 04 जनवरी,2019)**

7. ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 26.02.2019)**

8. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आरंभ की गयी ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत,जीडीएस के रूप में नियोजन हेतु अंकों की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 21.05.2019)**

9. ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 26.02.2019)**

10. ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 08.03.2019)**

11. ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 07.05.2019)**

12. ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में हड़ताल की अवधि का समाधान (ट्रीटमेंट) । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 08.05.2019)**

13. डाक विभाग की महिला ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा। **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 17.05.2019)**

14. ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय भाषा के प्रावधान के संबंध में । **(फा.सं.17-11/2019-जीडीएस दिनांक 04.06.2019)**

15. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम-31 के अंतर्गत शाखा पोस्टमास्टरों और सहायक शाखा पोस्टमास्टरों/डाक सेवकों के लिए 'नियोजन प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की अनुसूची पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशोंका कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 10.06.2019)**

16. एकल कर्मचारी वाले शाखा डाकघरों में संयुक्त ड्यूटी से संबंधित कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 21.06.2019)**

17. जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली,2011 के नियम 10 के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप नियम 10-क (सेवा-मुक्ति के बाद शास्ति लगाने की प्रक्रिया) में संशोधन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 25.06.2019)**

18. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली,2011 के नियम 12 की समीक्षा । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 26.06.2019)**

19. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली,2011 के नियम 21 में संशोधन के पश्चात कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । **(कार्यालय ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 26.06.2019)**

यदि उपरोक्त हिन्दी कार्यालय ज्ञापनों में किसी प्रकार की विसंगति के मामलें में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा ।

(एस.बी.व्यवहारे)
सहायक महा-निदेशक
(जीडीएस/पीसीसी)

प्रतिलिपि प्रेषित -

महाप्रबंधक सीईपीटी मैसूर को भारतीय डाक की वेबसाइट पर उपरोक्त आदेशों का अपलोड करने हेतु ।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
स्थापना डिवीजन

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 25 जून, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों के संबंध में गठित एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों, परिलब्धियों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय, डाक विभाग के संकल्प सं. 17-13/2013 दिनांक 19.11.2015 के तहत डाक सेवा बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य, श्री कमलेश चंद्र की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा दिनांक 24.11.2016 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई। सरकार ने समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) तथा अन्य भत्तों में संशोधन के संबंध में एकल सदस्यीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं :-

2. **नए समय संबद्ध निरंतरता भत्ते की शुरूआत**

सभी ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, शाखा पोस्टमास्टर और शाखा पोस्टमास्टरों से इतर कार्मिक। शाखा डाकघरों में कार्यरत शाखा पोस्टमास्टर से इतर ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों को सहायक शाखा पोस्टमास्टर और विभागीय डाकघरों में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों को डाक सेवक कहा जाएगा। कार्यावधि के दो स्लैब, क्रमश: 4 एवं 5 घंटे होंगे। इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत समय संबद्ध निरंतरता भत्ते के भी दो स्तर निर्धारित किए गए हैं। इस उद्देश्य हेतु दिनांक 01.07.2018 से ग्रामीण डाक सेवकों की 3 घंटे, 3.30 घंटे तथा 3.45 घंटे की कार्यावधि को बढ़ाकर 4 घंटे तथा 4.30 घंटे की कार्यावधि को संशोधित कर 5 घंटे कर दिया गया है।

इन दोनों श्रेणियों पर लागू संशोधित टीआरसीए स्लैब/स्तर सारणी 1 में दर्शाए गए हैं :-

सारणी 1 कार्य के घंटे/स्तर के अनुसार जीडीएस की दोनों श्रेणियों के लिए संशोधित न्यूनतम समय संबद्ध निरंतरता भत्ता			
क्रम सं.	**श्रेणी**	**4 घंटे/स्तर 1 के लिए न्यूनतम टीआरसीए**	**5 घंटे/स्तर 2 के लिए न्यूनतम टीआरसीए**
1	शाखा पोस्टमास्टर	12,000/- रुपए	14,500/- रुपए
2	सहायक शाखा पोस्टमास्टर / डाक सेवक	10,000/- रुपए	12,000/- रुपए

2.1 पुराने टीआरसीए स्लैबों का विलय

टीआरसीए के मौजूदा 11 स्लैबों का विलय कर मात्र 3 टीआरसीए स्लैब बनाए जाएंगे। इनमें शाखा पोस्टमास्टर तथा शाखा पोस्टमास्टर से इतर कार्मिकों के लिए दो-दो स्तर होंगे, जैसाकि सारणी 2 में दर्शाया गया है। वास्तव में मात्र 3 टीआरसीए स्लैब ही होंगे, क्योंकि 1 टीआरसीए स्लैब दोनों श्रेणियों के जीडीएस के लिए समान होगा।

सारणी-2 मौजूदा टीआरसीए स्लैबों का विलय				
क्र. सं.	**मौजूदा टीआरसीए स्लैब**	**नया पदनाम और कार्य के घंटे**	**टीआरसीए का नया स्तर**	**टीआरसीए का नया स्लैब**
1	एमसी/एमपी/एमएम (3 घंटे) रु. 2295-45-3695	सहायक शाखा पोस्टमास्टर/डाक सेवक (4 घंटे)	स्तर–1	रु. 10000-24470
2	एमसी/एमपी/एमएम (3 घंटे 45 मिनट) रु. 2870-50-4370			
3	एमडी/एसवी (3 घंटे) रु. 2665-50-4165			
4	एमडी/एसवी (3 घंटे 45 मिनट) रु. 3330-60-5130			
5	एमसी/एमपी/एमएम (5 घंटे) रु. 3635-65-5585	सहायक शाखा पोस्टमास्टर/डाक सेवक (5 घंटे)	स्तर–2	रु. 12000-29380
6	एमडी/एसवी (5 घंटे) रु. 4220-75-6470			

7	बीपीएम (3 घंटे) रु. 2745–50-4245	शाखा पोस्टमास्टर (4 घंटे)	स्तर–1	रु. 12000-29380
8	बीपीएम (3 घंटे 30 मिनट) रु. 3200-60-5000			
9	बीपीएम (4 घंटे) रु. 3660-70-5760			
10	बीपीएम (4 घंटे 30 मिनट) रु. 4115-75-6365	शाखा पोस्टमास्टर (5 घंटे)	स्तर–2	रु. 14500-35480
11	बीपीएम (5 घंटे) रु. 4575-85-7125			

संक्षिप्त रूपों का स्पष्टीकरण : एमसी - डाक वाहक, एमपी - मेल पैकर, एमडी - डाक वितरक, एमएम - मेल मैन, एसवी- डाक-टिकट विक्रेता

2.2 निर्धारण फार्मूला

ग्रामीण डाक सेवकों पर 01.07.2018 से नए टीआरसीए मेट्रिक्स के संबंधित स्तर लागू होंगे। ग्रामीण डाक सेवकों के समय संबद्ध निरंतरता भत्ते को नए टीआरसीए स्लैबों के अनुसार निर्धारित किए जाने के लिए, उपरोक्त सारणी-2 के संशोधन-पूर्व सभी 11 टीआरसीए स्लैबों के अंतर्गत आने वाले, ग्रामीण डाक सेवकों के मौजूदा समय-संबद्ध निरंतरता भत्ते को 2.57 के गुणज से गुणा किया जाएगा। इस राशि को रूपए के निकटतम पूर्णांक में बदल दिया जाएगा। इस प्रकार परिकलित राशि को सारणी - 3 में दिए गए नए टीआरसीए स्लैब में संबंधित जीडीएस के टीआरसीए स्तर में देखा जाएगा।

2.3 यदि उपरोक्तानुसार परिकलित राशि के समतुल्य कोई सेल, उपयुक्त स्तर पर मौजूद है, तो उस सेल में दी गई राशि संबंधित जीडीएस का संशोधित टीआरसीए होगी, अन्यथा इसी स्तर में अगले सेल में उल्लिखित राशि संबंधित ग्रामीण डाक सेवक का संशोधित टीआरसीए होगी। तथापि, जीडीएस के नए टीआरसीए मेट्रिक्स में संशोधित टीआरसीए के निर्धारण के लिए प्रशासन/डीडीओ के मार्गदर्शन हेतु उदाहरण **अनुबंध-।।** में दिए गए हैं।

2.4 वे जीडीएस, जिनकी वार्षिक टीआरसीए वृद्धि पहली जुलाई, 2018 को होनी है, उनके मामले में संशोधन-पूर्व टीआरसीए पर वार्षिक वृद्धि के बाद टीआरसीए परिकलित किया जाएगा और तत्पश्चात संशोधित टीआरसीए मेट्रिक्स में उनका टीआरसीए निर्धारित किया जाएगा, जैसाकि **सारणी-3** में दिया गया है।

सारणी-3

टीआरसीए मैट्रिक्स					
टीआरसीए स्लैब-1 सहायक शाखा पोस्टमास्टर/डाक सेवक स्तर-1 10000-24470		टीआरसीए स्लैब-2 (क) सहायक शाखा पोस्टमास्टर/डाक सेवक स्तर-2 और (ख) शाखा पोस्टमास्टर स्तर-1 12000-38390		टीआरसीए स्लैब-3 शाखा पोस्टमास्टर स्तर-2 14500-46340	
चरण	टीआरसीए	चरण	टीआरसीए	चरण	टीआरसीए
1	10000	1	12000	1	14500
2	10300	2	12360	2	14940
3	10610	3	12740	3	15390
4	10930	4	13130	4	15860
5	11260	5	13530	5	16340
6	11600	6	13940	6	16840
7	11950	7	14360	7	17350
8	12310	8	14800	8	17880
9	12680	9	15250	9	18420
10	13070	10	15710	10	18980
11	13470	11	16190	11	19550
12	13880	12	16680	12	20140
13	14300	13	17190	13	20750
14	14730	14	17710	14	21380
15	15180	15	18250	15	22030
16	15640	16	18800	16	22700
17	16110	17	19370	17	23390
18	16600	18	19960	18	24100
19	17100	19	20560	19	24830
20	17620	20	21180	20	25580
21	18150	21	21820	21	26350
22	18700	22	22480	22	27150
23	19270	23	23160	23	27970
24	19850	24	23860	24	28810
25	20450	25	24580	25	29680
26	21070	26	25320	26	30580
27	21710	27	26080	27	31500
28	22370	28	26870	28	32450
29	23050	29	27680	29	33430
30	23750	30	28520	30	34440
31	24470	31	29380	31	35480

2.5 यदि कोई जीडीएस 01.07.2018 को अवकाश पर है, तो उनके द्वारा कार्यभार पुन: ग्रहण करने की तिथि से संशोधित टीआरसीए प्रभावी होगा। 01.07.2018 को पुट ऑफ ड्यूटी पर रहने वाले जीडीएस मौजूदा टीआरसीए के आधार पर अनुग्रह भुगतान प्राप्त करते रहेंगे तथा उनका टीआरसीए निर्धारण लंबित अनुशासनिक कार्यवाही पर अंतिम आदेश आने के अध्यधीन होगा।

3. **वार्षिक वृद्धि**

टीआरसीए की दर में 3% की दर से वार्षिक वृद्धि होगी। उपरोक्त पैरा 2.2 में यथानिर्धारित टीआरसीए मेट्रिक्स/स्लैब में समुचित स्तर पर टीआरसीए निर्धारण के पश्चात, अगली वार्षिक वृद्धि उस दिन से 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने पर प्रभावी होगी। ऐसा, नीचे दिए गए पैरा 3.2 के अध्यधीन होगा। **टीआरसीए मान में अनुवर्ती वृद्धि, सारणी 3 में दिए नए टीआरसीए मेट्रिक्स के संबंधित स्तरों के अगले चरण पर होगी।**

3.1 01.07.2018 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त किए जाने वाले जीडीएस के संबंध में, आंरभिक निर्धारण, संबंधित श्रेणी के स्तर 1 के पहले चरण पर किया जाएगा।

3.2 टीआरसीए में वार्षिक वृद्धि की दो तिथियां होंगी, नामत: पहली जुलाई और पहली जनवरी और जीडीएस अपने नियोजन की तिथि के आधार पर, दोनों में से एक तिथि पर टीआरसीए की केवल एक वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा।

4. **अन्य भत्ते**

अन्य भत्ते, जैसे कार्यालय रख-रखाव भत्ता, नियत लेखन-सामग्री प्रभार भत्ता, साइकिल रख-रखाव भत्ता, संयुक्त इयूटी भत्ता, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता आदि में **अनुबंध-I** में दिए विवरण के अनुसार संशोधन किए गए हैं।

5. **मंहगाई भत्ता**

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अुनसार, मंहगाई भत्ते को एक अलग भाग के रूप में रखने तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में संशोधन के साथ ही इसमें समय-समय पर संशोधन करने का मौजूदा चलन जारी रहेगा।

6. **उत्पादकता संबद्ध बोनस**

अनुग्रह उपदान बोनस का मौजूदा परिकलन आगामी आदेशों तक, मूल टीआरसीए जमा महंगाई भत्ते के अनुसार किया जाना जारी रखा जाएगा, जोकि 7000/- रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

7. **प्रभावी होने की तिथि**

सभी ग्रामीण डाक सेवक दिनांक 01.07.2018 से, सारणी-3 के अनुसार, संशोधित टीआरसीए प्राप्त करेंगे। **अनुबंध-1** में दिए गए अन्य भत्तों की संशोधित दर 01.07.2018 से लागू होंगी।

8. **01.01.2016 से 30.06.2018 तक की बकाया राशि का भुगतान**

जीडीएस को देय बकाया राशि के भुगतान के लिए निम्नलिखित दो राशियों पर विचार किया जाएगा:

(i) 1.1.2016 से 30.6.2018 तक की अवधि के लिए देय, पूर्व में प्राप्त किए जा रहे टीआरसीए को 2.57 के गुणज से गुणा करने के आधार पर परिकलित

(ii) 1.1.2016 से 30.6.2018 तक की उक्त अवधि के लिए आहरित मंहगाई भत्ते सहित टीआरसीए

(iii) (i) और (ii) के बीच का अंतर, जीडीएस को बकाया राशि के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि होगी।

इस संबंध में विवरण **अनुबंध-।।।** पर दिया गया है।

9. उक्त पैरा 8 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, जीडीएस को देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया तुरंत आरंभ की जाए ताकि 15 जुलाई, 2018 तक यह वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार, पैरा 2.2 में दिए गए नए टीआरसीए मेट्रिक्स के अनुसार टीआरसीए के निर्धारण की प्रक्रिया 25 जुलाई, 2018 तक पूरी कर ली जाए। 1.1.2016 से 30.6.2018 तक की अवधि के भुगतान के संबंध में, प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक से निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-IV)** में एक वचनबंध प्राप्त किया जाए और बकाया राशि के संवितरण से पूर्व रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए।

10. संशोधन के उपरांत सर्कल डाक लेखा कार्यालय द्वारा टीआरसीए निर्धारण का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की समस्त प्रक्रिया 31.12.2018 तक पूरी कर ली जाए।

11. इस का.ज्ञा. को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से, उनके आईडी नोट सं. 7/31/2006-ई-III(ए) दिनांक 02.04.2018 के तहत जारी किया जा रहा है।

(स्मृति शरण)
उप महानिदेशक(स्थापना)

प्रति :-

1. माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
2. सचिव (डाक)/महानिदेशक (डाक सेवाएं) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. डाक सेवा बोर्ड के सभी सदस्यों/अपर महानिदेशक (समन्वय) के प्रधान निजी सचिव
4. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
5. सभी पोस्टमास्टर जनरल
6. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डाक निदेशालय
7. डाक निदेशालय के सभी उप महानिदेशक
8. निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद
9. महानिदेशक, डाक एवं तार लेखा, सिविल लाइंस, नई दिल्ली-54
10. मान्यता प्राप्त सभी यूनियन/संघ/एसोसिएशन
11. एसओ गार्ड फाइल-अतिरिक्त प्रतियां – 20

(एस.वी.राव)
निदेशक (स्थापना)

अनुबंध-I

मौजूदा और संशोधित भत्ते

मद	मौजूदा भत्ते	संशोधित भत्ते
भत्ते		
कार्यालय रख-रखाव भत्ता (ओएमए) (केवल बीपीएम के लिए)	100/- रूपए प्रतिमाह	संयुक्त भत्ता (ओएमए के स्थान पर) (केवल बीपीएम के लिए) निम्नानुसार संधोधित किया जाता है: बीपीएम द्वारा जीडीएस डाकघर हेतु उपलब्ध कराया गया स्थान, जो मानकों को पूरा करता हो, के लिए 500/- रु. बीपीएम, जिसका गैर-मानक/किराया मुक्त स्थान पर शाखा डाकघर हो - 250/- रु.
नियत लेखन-सामग्री प्रभार (एफएससी)	25/-रु. प्रतिमाह बीपीएम के लिए 10/-रु. प्रतिमाह बीपीएम से इतर के लिए	एबीपीएम और डाक सेवकों के लिए 25/- रू.। बीपीएम के लिए एफएससी को संयुक्त भत्ते में सम्मिलित किया गया है।
नौका भत्ता	50/- रु. प्रतिमाह	115/- रु. प्रति माह
नकदी परिवहन भत्ता	50/- रु. प्रतिमाह	नियत नकद परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके बदले, निम्नलिखित दरों पर भुगतान किया जाएगा:- (क) प्रति अवसर 30/- रु. का भुगतान और साथ ही 1 लाख रु. से कम की धनराशि के लिए वास्तविक नकदी परिवहन प्रभार और (ख) प्रति अवसर 50/- रु. और साथ ही 1 लाख रु. से अधिक की धनराशि के लिए वास्तविक परिवहन प्रभार, जोकि सार्वजनिक बस से परिवहन पर किए गए अधिकतम व्यय के अध्यधीन होगा।
साइकिल रख-रखाव	90/- रु. प्रतिमाह	180/- रु. प्रतिमाह की दर से
संयुक्त ड्यूटी भत्ता	1. जीडीएस शाखा पोस्टमास्टर, जो वितरण का कार्य करते हैं अथवा डाक को लाने-ले जाने से संबंधित ड्यूटी करते हैं अथवा दोनों करते हैं, उन्हें प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग 500/- रु.	वितरण अथवा डाक ढुलाई कार्य के लिए बीपीएम को 45/- रु. प्रतिदिन, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1170/- रु. प्रतिमाह होगी। वितरण और डाक ढुलाई कार्य के लिए बीपीएम को 90/- रु. प्रतिदिन, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा

	प्रतिमाह दिया जाएगा। 2. यदि शाखा पोस्टमास्टर केवल शाखा डाकघर ग्राम में वितरण का कार्य करते हैं,तो उन्हें 250/- रु. प्रतिमाह ही दिए जाएंगे। 3. जो शाखा पोस्टमास्टर बस-स्टैंड अथवा रेलवे स्टेशनों पर डाक की अदला-बदली करने का कार्य करते हैं, उन्हें 250/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी।	2340/- रु. प्रतिमाह होगी। बीपीएम कार्य के लिए एबीपीएम को 75/- रु. प्रतिदिन, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1950/- रु. प्रतिमाह होगी। किसी अन्य एबीपीएम/डाक सेवक का अतिरिक्त कार्य करने के लिए एबीपीएम/डाक सेवक को 45/- रु. प्रतिदिन,लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1170/- रु. प्रतिमाह होगी। ये दरें, दो अथवा दो से अधिक पदों की संयुक्त रूप से ड्यूटी करने के लिए हैं, जो डाकघर की स्थापना करने पर सृजित होते हैं।
जोखिम एवं कठिनाई भत्ता	शून्य	जिन क्षेत्रों के लिए यह भत्ता निर्धारित किया गया है, उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जीडीएस को 500/- रु. प्रतिमाह की दर से जोखिम एवं कठिनाई भत्ता। (जैसाकि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा चिह्नित किया गया है।)

अनुबंध ।।

1.7.2018 से पूर्व सेवा में शामिल हुए ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में नई स्लैब में टीआरसीए के निर्धारण हेतु उदाहरण

उदाहरण-1

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमसी/एमपी/एमएम जिनका कार्यभार 03 घंटे का है	**2,295-45-3,645/-रू.**	**10,000-24,470/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	2,880/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	7,402/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	10,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-2)*	10,300/- रू..

उदाहरण-2

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमसी/एमपी/एमएम जिनका कार्यभार 03 घंटे 45 मिनट है	**2,870-50-4,370/-रू.**	**10,000-24,470/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	2,920/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	7,504/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	10,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-2)*	10,300/- रू.

उदाहरण-3

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमसी/एमपी/एमएम जिनका कार्यभार 03 घंटे 45 मिनट का है	**2,870-50-4,370/-रू.**	**10,000-24,470/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	3,920/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	10,074/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-2 पर)	10,300/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-3)*	10,610/- रू.

उदाहरण-4

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमसी/एमपी/एमएम जिनका कार्यभार 03 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे का है	**3,635-65-5,585/-रू.**	**12,000-29,380/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	3,838/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	9,843/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 के चरण-1 पर)	12,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-2)*	12,360/- रू.

उदाहरण-5

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमसी/एमपी/एमएम जिनका कार्यभार 03 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे का है	**3,635-65-5,585/-रू.**	**12,000-29,380/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	4,740/- रू.

2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया)	12,182/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 के चरण-2 पर)	12,360/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-3)•	12,740/- रू.

उदाहरण-6

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमडी/एमवी जिनका कार्यभार 03 घंटे का है	**2,665-50-4,165//-रू.**	**10,000-24,470/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	2,815/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया)	7,235/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	10,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-2)•	10,300/- रू.

उदाहरण-7

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमडी/एसवी जिनका कार्यभार 03 घंटे 45 मिनट का है	**3,330-60-5,130/-रू.**	**10,000-24,470/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	4,290/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया)	11,025/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-5 पर)	11,260/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-6)•	11,600/- रू.

उदाहरण-8

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
एमडी/एसवी जिनका कार्यभार 03 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे का है	**4,220-75-6,470/-रू.**	**12,000-29,380/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	4,670/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	12,002/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 के चरण-2 पर)	12,360/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-3)*	12,740/- रू.

उदाहरण-9

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 03 घंटे का है	**2,745-50-4,245/-रू.**	**12,000-29,380/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	2,845/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	7,312/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	12,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-2)*	12,360/- रू.

उदाहरण-10

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 03 घंटे 30 मिनट का है	**3,200-60-5,000/-रू.**	**12,000-29,380/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	3,200/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	8,224/- रू.

3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	12,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-2)•	12,360/- रू.

उदाहरण-11

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 04 घंटे का है	3,660-70-5,760/-रू.	**12,000-29,380/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	2,845/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	7,312/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	12,000/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 का चरण-2)•	12,360/- रू.

उदाहरण-12

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 04 घंटे 30 मिनट का है	4,115-75-6,365/-रू.	**14,500-35,480/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	4,115/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	10,576/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 के चरण-1 पर)	14,500/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-2)•	14,940/- रू.

उदाहरण-13

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 05 घंटे का है	**4,575-85-7,125/-रू.**	**14,500-35,480/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	4,915/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	12,632/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 के चरण-1 पर)	14,500/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-2)*	14,940/- रू.

उदाहरण-14

जीडीएस की श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 05 घंटे का है	**4,575-85-7,125/-रू.**	**14,500-35,480/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2018 को, जीडीएस का मूल टीआरसीए	5,850/- रू.
2.	2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए (निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया)	15,035/- रू.
3.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 के चरण-3 पर)	15,390/- रू.
4.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-4)*	15,860/- रू.

वे जीडीएसबीपीएम जो जुलाई को 85/- रूपए की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.7.2017 से 4575-85-7125 के टीआरसीए स्लैब में 4830/- रूपए का टीआरसीए आहरित कर रहे हैं

जीडीएसकी श्रेणी	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व टीआरसीए	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित टीआरसीए
बीपीएम जिनका कार्यभार 05 घंटे का है	**4,575-85-7,125/-रू.**	**14,500-35,480/-रूपए**

क्र.सं.		
1.	1.7.2017 की स्थिति के अनुसार, जीडीएस के टीआरसीए को मूल मानकर	4,830/- रू.
2.	1.7.2018 की स्थिति के अनुसार 85/- रू. की वार्षिक वृद्धि	4,915/- रू.

3.	4,915/- रू. के फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर बढ़ा हुआ टीआरसीए	12,632/- रू.
4.	1.7.2018 को निर्धारित टीआरसीए (उपरोक्त क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि के समतुल्य चरण पर। यदि संबंधित राशि का स्लैब उपलब्ध नहीं है, तो क्रम सं. 2 पर परिकलित राशि से अगले चरण पर अर्थात् टीआरसीए मेट्रिक्स के स्तर-1 के चरण-1 पर)	14,500/- रू.
5.	1.7.2019 को टीआरसीए (टीआरसीए मैट्रिक्स के स्तर-2 का चरण-2)•	14,940/- रू.

• यदि 1.7.2018 से 12 महीनों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

अनुबंध-III

1.1.2016 से 30.6.2018 तक की अवधि के लिए भुगतान संबंधी उदाहरण

उदाहरण-1 जीडीएस बीपीएम जिनका कार्यभार 5 घंटे है और जो 01.01.2016 को 4575/- रू. के मूल टीआरसीए के साथ 4575-85-7125 के टीआरसीए स्लैब में है (वार्षिक वृद्धि की तिथि - 1 जनवरी)

अवधि	मूल टीआरसीए	मंहगाई भत्ता प्रतिशत	महीनों की संख्या	कुल आहरित राशि	2.57 द्वारा बढ़ाया गया मूल टीआरसीए	कुल देय राशि	अंतर	कुल देय राशि
1.1.16	4575	125	6	61763	11758	70547	8784	
1.7.16	4575	132	6	63684	11758	70547	6863	
1.1.17	4660	136	6	65986	11976	71857	5872	
1.7.17	4660	139	6	66824	11976	71857	5033	
1.1.18	4745	142	6	68897	12195	73168	4271	30821

उदाहरण-II जीडीएस बीपीएम जिनका कार्यभार 5 घंटे है और जो 01.01.2016 को 5850/- रू. के मूल टीआरसीए के साथ 4575-85-7125 के टीआरसीए स्लैब में है (वार्षिक वृद्धि की तिथि - 1 जनवरी)

अवधि	मूल टीआरसीए	मंहगाई भत्ता प्रतिशत	महीनों की संख्या	कुल आहरण	2.57 द्वारा बढ़ाया गया मूल टीआरसीए	कुल देय	अंतर	कुल देय राशि
1.1.16	5850	125	6	78975	15035	90207	11232	
1.7.16	5850	132	6	81432	15035	90207	8775	
1.1.17	5935	136	6	84040	15253	91518	7478	
1.7.17	5935	139	6	85108	15253	91518	6410	
1.1.18	6020	142	6	87410	15471	92828	5418	39313

उदाहरण-III जीडीएस एमसी जिनका कार्यभार 3 घंटे है और जो 01.01.2016 को 2430/- रू. के मूल टीआरसीए के साथ 2295-45-3695/- रूपए के टीआरसीए स्लैब में है (वार्षिक वृद्धि की तिथि - 1 जनवरी)

अवधि	मूल टीआरसीए	मंहगाई भत्ता प्रतिशत	महीनों की संख्या	कुल आहरण	2.57 द्वारा बढ़ाया गया मूल टीआरसीए	कुल देय	अंतर	कुल देय राशि
1.1.16	2430	125	3	16403	6245	18735	2333	
1.3.16	2475	125	3	16706	6361	19082	2376	
1.7.16	2475	132	6	34452	6361	38165	3713	
1.1.17	2475	136	3	17523	6361	19082	1559	
1.3.17	2520	136	3	17842	6476	19429	1588	
1.7.17	2520	139	6	36137	6476	38858	2722	
1.1.18	2520	142	3	18295	6476	19429	1134	
1.3.18	2565	142	3	18622	6592	19776	1154	16578

अनुबंध-IV

वचनबंध

मैं .... ग्रामीण डाक सेवक (एबीपीएम/बीपीएम) एतद्वारा वचन देता हूं कि समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप अथवा बाद में जानकारी में आई किसी विसंगति के कारण मेरे द्वारा प्राप्त किए गए किसी अधिक भुगतान को, भविष्य में मुझे देय भुगतान की राशि में समायोजित करके अथवा अन्यथा प्रकार से मेरे द्वारा सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम:....................................

पदनाम :................................

कार्यालय: ....

स्थान : ....

दिनांक : ....

<u>अनुबंध-V</u>

नए टीआरसीए मेट्रिक्स में टीआरसीए के निर्धारण और बकाया राशि के भुगतान के संबंध में अनुदेश

सभी जीडीएस के लिए 1.7.2018 से लागू टीआरसीए के निर्धारण की जिम्मेदारी **डाकघरों/आरएमएस यूनिटों के डिवीजनल अधीक्षक के पास** है। इसमें, उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी जीडीएस शामिल हैं। वरिष्ठ पोस्टमास्टर/मुख्य पोस्टमास्टर के प्रभार में कार्य करने वाले राजपत्रित प्रधान डाकघरों जैसी स्वतंत्र इकाइयों में कार्यरत जीडीएस के संबंध में निर्धारण वरिष्ठ/मुख्य पोस्टमास्टर द्वारा किया जाएगा।

2. संबंधित प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी जीडीएस के टीआरसीए का निर्धारण उनके मौजूदा कार्यभार, 1.7.2018 को आहरित मूल टीआरसीए के संदर्भ में करेंगे और दिए गए अनुदेशों के अनुसार 1.7.2018 को नए टीआरसीए मेट्रिक्स में टीआरसीए के निर्धारण के विवरण के साथ सभी जीडीएस के नाम भेजेंगे। बकाया राशि के भुगतान के लिए अनुबंध IV में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जीडीएस से बचनबंध लेना आवश्यक है। जीडीएस से प्राप्त वचनबंध डिवीजनल कार्यालय में एक अलग गार्ड फाइल में रखा जाना चाहिए, जिसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।

3. नए टीआरसीए मेट्रिक्स में टीआरसीए के गलत निर्धारण अथवा बकाया राशि के लिए किए गए किसी अधिक **भुगतान की जिम्मेदारी आहरण संवितरण अधिकारी की होगी**। बकाया राशि के अधिक भुगतान/ टीआरसीए के गलत निर्धारण के संबंध में किसी न्यायालय मामले के मामले में दोषी अधिकारी जवाबदेह होगा।

4. **4 घंटे से कम कार्यभार और 4½ घंटे के कार्यभार वाले भिन्न टीआरसीए स्लैबों का विलय करने से संबंधित कार्य और इस आशय के स्थापना आदेश 30 जून, 2018 से पहले जारी कर दिए जाने चाहिए।** इस का.ज्ञा. की सारणी 1 के अनुसार संशोधित टीआरसीए स्लैब 1.7.2018 से प्रभावी होंगे। यदि एक से अधिक एबीपीएम एक शाखा डाकघर में कार्यरत हैं/विभागीय डाकघर में डाक सेवक हैं, ऐसे एबीपीएम डाक सेवकों को एबीपीएम-।/एबीपीएम-।।/एबीपीएम-।।।/डाक सेवक-।/डाक सेवक-।। आदि का पदनाम दिया जाना चाहिए।

5. डिवीजनल अधीक्षक इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक हो, एक विशेष सेल का गठन करेंगे। इसी प्रकार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी देय-आहरित राशि का विवरण तैयार करके 1.1.2016 से 30.6.2018 तक का भुगतान प्राप्त करेगा और पहले से भुगतान किए गए मंहगाई-भत्ते सहित टीआरसीए का समायोजन करने के बाद भुगतान की व्यवस्था करेगा। पैरा-6 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बकाया राशि का परिकलन तुरंत शुरू कर दिया जाए ताकि भुगतान अधिकतम 15 जुलाई, 2018 तक सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार, पैरा 2.2 में दिए गए नए टीआरसीए मेट्रिक्स में टीआरसीए के निर्धारण की प्रक्रिया 25 जुलाई, 2018 तक पूरी कर ली जाए। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में,

प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक से निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-iv)** में एक बचनबंध लिया जाएगा और बकाया राशि के संवितरण से पूर्व रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा।

6. डिवीजनल अधीक्षक ऐसे शाखा पोस्टमास्टरों और सहायक शाखा पोस्टमास्टरों के नाम भेजने की व्यवस्था करेगा, जिन्होंने अनुबंध-1 में दी गई संशोधित दरों के अनुसार संयुक्त ड्यूटी की है। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

बीपीएम - वितरण अथवा डाक ढुलाई कार्य	45/- रू. प्रतिदिन अधिकतम सीमा 1170/- रू. प्रति माह
बीपीएम - वितरण एवं डाक ढुलाई	90/- रू. प्रतिदिन अधिकतम सीमा 2340/- रू. प्रति माह
एबीपीएम - बीपीएम कार्य	75/- रू. प्रतिदिन अधिकतम सीमा 1950/- रू. प्रति माह
एबीपीएम/डाक सेवक - अन्य एबीपीएम/डाक सेवक के अतिरिक्त कार्य सहित	45/- रू. प्रतिदिन अधिकतम सीमा 1170/- रू.

संबंधित डाकघर की स्थापना के दो अथवा दो से अधिक पदों की संयुक्त ड्यूटी के लिए उपर्युक्त दरें होंगी।

7. क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवाएं/पोस्टमास्टर जनरल, डिवीजनल कार्यालय का निरीक्षण करते समय टीआरसीए निर्धारण के 10% मामलों का सत्यापन करेगा।

8. सर्कल डाक लेखा कार्यालय, संशोधन के परिणामस्वरूप टीआरसीए निर्धारण के सभी मामलों का शत-प्रतिशत सत्यापन 31.12.2018 तक करेगा। विसंगति, यदि कोई हो, का उसी समय निपटान कर दिया जाएगा। गलत निर्धारण के कारण देय अधिक बकाया राशि को सूचीबद्ध किया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, डाक सेवाएं/पोस्टमास्टर जनरल/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को इसकी सूचना देगा।

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 17 अक्तूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान पत्र जारी करने के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण डाक सेवकों को पहचान पत्र जारी करने के विषय पर पूर्व में जारी किए गए सभी कार्यालय ज्ञापनों के अधिक्रमण में समेकित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:

(i) जीडीएस नियोजन नियमावली में यथानिर्धारित नियोजन संबंधी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के बाद नियोजित सभी ग्रामीण डाक सेवकों को संलग्न प्रपत्र के अनुसार पहचान-पत्र नि:शुल्क जारी किए जाएंगे।

(ii) पहचान-पत्र का आकार मानकीकृत होगा जैसाकि विभाग/सरकार द्वारा जारी किया गया है।

(iii) पहचान-पत्र जारी करने के लिए डिवीजन प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(iv) पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से शाखा पोस्टमास्टरों/सहायक शाखा पोस्टमास्टरों/डाक सेवकों द्वारा, दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ, सादे कागज पर डिवीजन प्रमुख को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, इस आवेदन को उप डिवीजन प्रमुख द्वारा विधिवत अनुशासित किए जाने के बाद उन्हीं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधान डाकघरों/मुख्य डाकघरों में सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों के मामलों में आवेदन क्रमशः वरिष्ठ पोस्टमास्टर/ पोस्टमास्टर द्वारा विधिवत अनुशासित किए जाने के बाद उन्हीं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) जीडीएस को पहचान पत्र जारी करने के लिए डिवीजन कार्यालय में अलग से रजिस्टर रखा जाएगा। वापस किए गए पहचान पत्रों का रिकार्ड डिवीजन कार्यालयों में निश्चित

रूप से रखा जाएगा तथा वापस किए गए पहचान पत्रों को डिवीजन प्रमुख की देख-रेख में यथा समय नष्ट कर दिया जाएगा।

(vi) यदि जीडीएस की लापरवाही की वजह से कार्ड गुम/चोरी/अपठनीय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जीडीएस से 50 रु. शुल्क लेकर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है।

(vii) जीडीएस की प्रोन्नति/सेवा-मुक्ति/हटाए जाने/बर्खास्तगी मृत्यु/स्थानांतरण (अन्य उप डिवीजन/डिवीजन में) के समय कार्ड को वापस/अभ्यर्पित करना होगा।

(viii) जीडीएस को पहचान पत्र जारी करते समय, सीएसआई विशिष्ट कर्मचारी पहचान संख्या का उल्लेख पहचान पत्र पर अनिवार्य रूप से करना होगा।

(ix) छुट्टी रिक्ति के पद पर नियोजित एवजी को कोई पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

3. उपर्युक्त अनुदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(एस. बी. व्यवहार)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (डाक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक, डाक सेवाएं के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. सभी सदस्यों के प्रधान निजी सचिव, डाक सेवा बोर्ड।
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/सचिव (पीएसबी)
5. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल।
6. सभी पोस्टमास्टर जनरल।
7. मुख्य महाप्रबंधक, पीएलआई/मुख्य महाप्रबंधक, बीडी एवं एम निदेशालय।
8. निदेशक, आरएकेएनपीए, गाजियाबाद।
9. सभी उप महानिदेशक/निदेशक/सहायक महानिदेशक, डाक निदेशालय।
10. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, मार्फत 56, एपीओ, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
11. महानिदेशक डाक एवं तार (लेखापरीक्षा), सिविल लाइंस, नई दिल्ली-54
12. सभी निदेशक, लेखा (डाक)।
13. निदेशक, सीईपीटी को भारतीय डाक की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु।
14. मान्यता प्राप्त सभी संघ/यूनियन/एसोसिएशन।
15. अनुभाग अधिकारी, गार्ड फाइल।
16. अतिरिक्त प्रतियां - 20

(एस. बी. व्यवहार)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

पहचान पत्र का नमूना

सामने वाला भाग

भारत सरकार		भारतीय डाक
संचार मंत्रालय		
डाक विभाग		इंडिया पोस्ट
फोटो	वैध तिथि	
	कर्मचारी की विशिष्ट पहचान संख्या	
	नाम	
	श्रेणी/पद	
	जन्मतिथि	
	कार्यालय का नाम, लेखा कार्यालय सहित	
	उप डिवीजन/डिवीजन का नाम	
धारक के हस्ताक्षर		जारी करने वाला प्राधिकारी
यह ग्रामीण डाक सेवक की केवल पहचान हेतु वैध है		

पीछे वाला भाग

आवास :

इस कार्ड के गुम होने/पाने की स्थिति में कृपया इस पते पर सूचित करें/वापस करें:-

(संबंधित डिवीजन/डाकघर का पता)

अनुदेश:

1. मांगे जाने पर यह कार्ड दिखाना होगा।
2. कार्ड के गुम होने और इसे पुन: जारी करने के लिए 50 रु. का जुर्माना देना होगा
3. यह अहस्तांतरणीय है।

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 17 अक्तूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान पत्र जारी करने के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण डाक सेवकों को पहचान पत्र जारी करने के विषय पर पूर्व में जारी किए गए सभी कार्यालय ज्ञापनों के अधिक्रमण में समेकित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:

(i) जीडीएस नियोजन नियमावली में यथानिर्धारित नियोजन संबंधी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के बाद नियोजित सभी ग्रामीण डाक सेवकों को संलग्न प्रपत्र के अनुसार पहचान-पत्र नि:शुल्क जारी किए जाएंगे।

(ii) पहचान-पत्र का आकार मानकीकृत होगा जैसाकि विभाग/सरकार द्वारा जारी किया गया है।

(iii) पहचान-पत्र जारी करने के लिए डिवीजन प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(iv) पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से शाखा पोस्टमास्टरों/सहायक शाखा पोस्टमास्टरों/डाक सेवकों द्वारा, दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ, सादे कागज पर डिवीजन प्रमुख को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, इस आवेदन को उप डिवीजन प्रमुख द्वारा विधिवत अनुशंसित किए जाने के बाद उन्हीं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधान डाकघरों/मुख्य डाकघरों में सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों के मामलों में आवेदन क्रमश: वरिष्ठ पोस्टमास्टर/ पोस्टमास्टर द्वारा विधिवत अनुशंसित किए जाने के बाद उन्हीं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) जीडीएस को पहचान पत्र जारी करने के लिए डिवीजन कार्यालय में अलग से रजिस्टर रखा जाएगा। वापस किए गए पहचान पत्रों का रिकार्ड डिवीजन कार्यालयों में निश्चित

रूप से रखा जाएगा तथा वापस किए गए पहचान पत्रों को डिवीजन प्रमुख की देख-रेख में यथा समय नष्ट कर दिया जाएगा।

(vi) यदि जीडीएस की लापरवाही की वजह से कार्ड गुम/चोरी/अपठनीय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जीडीएस से 50 रु. शुल्क लेकर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है।

(vii) जीडीएस की प्रोन्नति/सेवा-मुक्ति/हटाए जाने/बर्खास्तगी मृत्यु/स्थानांतरण (अन्य उप डिवीजन/डिवीजन में) के समय कार्ड को वापस/अभ्यर्पित करना होगा।

(viii) जीडीएस को पहचान पत्र जारी करते समय, सीएसआई विशिष्ट कर्मचारी पहचान संख्या का उल्लेख पहचान पत्र पर अनिवार्य रूप से करना होगा।

(ix) छुट्टी रिक्ति के पद पर नियोजित एवजी को कोई पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

3. उपर्युक्त अनुदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(एस. बी. व्यवहार)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (डाक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक, डाक सेवाएं के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. सभी सदस्यों के प्रधान निजी सचिव, डाक सेवा बोर्ड।
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/सचिव (पीएसबी)
5. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल।
6. सभी पोस्टमास्टर जनरल।
7. मुख्य महाप्रबंधक, पीएलआई/मुख्य महाप्रबंधक, बीडी एवं एम निदेशालय।
8. निदेशक, आरएकेएनपीए, गाजियाबाद।
9. सभी उप महानिदेशक/निदेशक/सहायक महानिदेशक, डाक निदेशालय।
10. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, मार्फत 56, एपीओ, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
11. महानिदेशक डाक एवं तार (लेखापरीक्षा), सिविल लाइंस, नई दिल्ली-54
12. सभी निदेशक, लेखा (डाक)।
13. निदेशक, सीईपीटी को भारतीय डाक की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु।
14. मान्यता प्राप्त सभी संघ/यूनियन/एसोसिएशन।
15. अनुभाग अधिकारी, गार्ड फाइल।
16. अतिरिक्त प्रतियां - 20

(एस. बी. व्यवहार)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

पहचान पत्र का नमूना

सामने वाला भाग

भारत सरकार		भारतीय डाक
संचार मंत्रालय		
डाक विभाग		इंडिया पोस्ट
फोटो	वैध तिथि	
	कर्मचारी की विशिष्ट पहचान संख्या	
	नाम	
	श्रेणी/पद	
	जन्मतिथि	
	कार्यालय का नाम, लेखा कार्यालय सहित	
	उप डिवीजन/डिवीजन का नाम	
धारक के हस्ताक्षर		जारी करने वाला प्राधिकारी
यह ग्रामीण डाक सेवक की केवल पहचान हेतु वैध है		

पीछे वाला भाग

आवास :

इस कार्ड के गुम होने/पाने की स्थिति में कृपया इस पते पर सूचित करें/वापस करें:-

(संबंधित डिवीजन/डाकघर का पता)

अनुदेश:

1. मांगे जाने पर यह कार्ड दिखाना होगा।
2. कार्ड के गुम होने और इसे पुन: जारी करने के लिए 50 रु. का जुर्माना देना होगा
3. यह अहस्तांतरणीय है।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 30 अक्तूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को पहचान पत्र जारी करने से संबंधित एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस निदेशालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अक्तूबर, 2018 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसके तहत जीडीएस को पहचान पत्र जारी करने तथा पहचान पत्र के प्रारूप से संबंधित अनुदेश परिचालित किए गए थे।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि जीडीएस को पहचान पत्र जारी करने के लिए स्वीकृत आकार तथा संशोधित प्रारूप-आईडी-1 इसके साथ संलग्न है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.10.2018 के साथ निम्नलिखित अनुदेश भी पढ़े जाएं :

(i) पहचान पत्र पांच वर्ष के लिए अथवा जीडीएस की सेवा-मुक्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, वैध होंगे।

(ii) प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के उपरांत नवीन पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश, पहचान पत्र जारी करने वाले सभी प्राधिकारियों को परिचालित किए जाएं तथा सभी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (डाक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक, डाक सेवाएं के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. सभी सदस्यों के प्रधान निजी सचिव, डाक सेवा बोर्ड।
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/सचिव (पीएसबी)
5. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल।
6. सभी पोस्टमास्टर जनरल।
7. मुख्य महाप्रबंधक, पीएलआई/मुख्य महाप्रबंधक, बीडी एवं एम निदेशालय।
8. निदेशक, आरएकेएनपीए, गाजियाबाद।
9. सभी उप महानिदेशक/निदेशक/सहायक महानिदेशक, डाक निदेशालय।
10. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, मार्फत 56, एपीओ, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
11. महानिदेशक डाक एवं तार (लेखापरीक्षा), सिविल लाइंस, नई दिल्ली-54
12. सभी निदेशक, लेखा (डाक)।
13. निदेशक, सीईपीटी को भारतीय डाक की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु।
14. मान्यता प्राप्त सभी संघ/यूनियन/एसोसिएशन।
15. अनुभाग अधिकारी, गार्ड फाइल।
16. अतिरिक्त प्रतियां - 05

(एस. बी. व्यवहार)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

पहचान पत्र का नमूना

सामने का भाग

----------------------- 85.60 मि. मी. -----------------------

<table>
<tr><td>भारत सरकार</td><td rowspan="4">भारतीय डाक

इंडिया पोस्ट</td></tr>
<tr><td>संचार मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>डाक विभाग</td></tr>
<tr><td>वरिष्ठ/अधीक्षक डाकघर का कार्यालय, श्रीगंगानगर डिवीजन</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">स्टैम्प आकार की

फोटो
(20 x 25 मि.मी.)</td><td>वैध तिथि</td><td>31 दिसम्बर, 2023</td></tr>
<tr><td>कर्मचारी की विशिष्ट पहचान संख्या</td><td>10085680</td></tr>
<tr><td>नाम</td><td>सुशील कुमार शर्मा</td></tr>
<tr><td>पद</td><td>बीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवाएं</td></tr>
<tr><td>जन्मतिथि</td><td>27 अगस्त, 1979</td></tr>
<tr><td>कार्यालय का नाम</td><td>रजियासर बीओ</td></tr>
<tr><td>लेखा कार्यालय</td><td>सूरतगढ़ एसओ</td></tr>
<tr><td>धारक के हस्ताक्षर</td><td>जारी करने वाला प्राधिकारी</td><td></td></tr>
</table>

पीछे का भाग

----------------------- 85.60 मि. मी. -----------------------

आवास : मकान सं. 7 वैशालीनगर, सूरतगढ़, राजस्थान-335804-दूरभाष सं. 9876543210

कार्ड के गुम होने/पाए जाने की स्थिति में, कृपया इसे निम्न पते पर सूचित/वापस करे :-

अधीक्षक डाकघर, श्रीगंगानगर डिवीजन, राजस्थान-335001

अनुदेश:

1. यह केवल ग्रामीण डाक सेवकों की पहचान के लिए वैध है।
2. मांगे जाने पर यह कार्ड दिखाना होगा।
3. कार्ड के गुम होने और इसे पुन: जारी करने के लिए 50 रु. का जुर्माना देना होगा
4. यह अहस्तांतरणीय है।

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 14 दिसंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना की शुरुआत के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को, ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 में यथानिर्धारित तथा निदेशालय के अनुदेशों के अनुसार समय-समय पर संशोधित नियोजन संबंधी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के पश्चात्, नियमित आधार पर नियोजित सभी श्रेणियों के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना की शुरुआत के संबंध में एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना के संबंध में पूर्व सभी कार्यालय ज्ञापनों के अधिक्रमण में, समेकित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जोकि निम्नानुसार हैं :-

2.1 योजना - 1 : नियोजन अवधि के 20 वर्ष पूरे होने पर :-

(क) दायरा :- यह योजना ऐसे कर्मचारियों के लिए है, जो बिना कोई कारण बताए समय से पूर्व सेवा-मुक्ति चाहते हैं।

(ख) शर्तें:-

i. नियोजन की न्यूनतम अर्हक अवधि - 20 वर्ष।

ii. कोई आयु सीमा नहीं।

iii. डिवीजन प्रमुख को निर्धारित प्रपत्र में न्यूनतम तीन माह का लिखित नोटिस दे कर, जैसा कि **अनुबंध - I** में दर्शाया गया है।

iv. तीन माह की नोटिस अवधि की गणना में स्वैच्छिक सेवा-मुक्ति के नोटिस की तिथि और इसके पूरा होने की तिथि को शामिल नहीं किया जाएगा।

v. यदि डिवीजन प्रमुख उक्त नोटिस में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने से पूर्व सेवान्निवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है तो सेवा-मुक्ति, उक्त अवधि के समाप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी। उदाहरण के लिए, यदि नोटिस दिए जाने की तिथि 05.02.2019 है, तो सेवा-मुक्ति 04.05.2019 से प्रभावी होगी।

vi. डिवीजन प्रमुख, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले स्वैच्छिक सेवा-मुक्ति स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी आदेश जारी करेगा। अन्यथा संबंधित जीडीएस को तीन माह की नोटिस अवधि समाप्त होने पर नियोजन से स्वैच्छिक रूप से मुक्त मान लिया जाएगा।

vii. इस नोटिस को इसे स्वीकार किए जाने से पहले स्वीकृति प्राधिकारी अर्थात् डिवीजन प्रमुख के अनुमोदन से वापस लिया जा सकता है।

viii. यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है और किसी भी जीडीएस पर इस योजना के तहत नियोजन छोड़ने की बाध्यता नहीं होगी।

ix. यह योजना उन जीडीएस कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगी, जो पुट ऑफ ड्यूटी हैं, अथवा जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई, पुलिस या न्यायालयी मामला लंबित है।

x. सभी जीडीएस कर्मी जो इस योजना के अधिसूचित होने की तिथि को नियमित आधार पर नियोजित हैं और अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

xi. जीडीएस की सभी श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति को स्वीकार तथा अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, डिवीजन प्रमुख होगा।

xii. स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना का लाभ लेने वाले जीडीएस कार्मिकों के आश्रितों हेतु अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना का लाभ लेने के इच्छुक जीडीएस कार्मिकों को अनुबंध - I में दिए गए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा कि स्वैच्छिक सेवा मुक्ति का अनुरोध स्वीकृत हो जाने के उपरांत वह, अपने किसी भी आश्रित के लिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं करेगा/करेगी।

(ग) हकदारी :- सेवा मुक्ति लाभ सामान्यतः नियोजन की कुल अवधि के अनुपात में देय होंगे। यदि कोई जीडीएस नियोजन के 20 वर्ष पूरे होने से पूर्व पद त्याग देता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होगा/होगी।

2.2 योजना - 2 : चिकित्सा आधार पर :

(क) दायरा : यह योजना ऐसे कर्मचारियों के लिए है, जो किसी शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के कारण नियोजन के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं और समय पूर्व ही सेवा छोड़ना चाहते हैं।

(ख) शर्तें :

i न्यूनतम नियोजन अवधि -10 वर्ष

ii कोई आयु सीमा नहीं

iii **अनुबंध-।।** में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र में जीडीएस को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iv. चिकित्सा प्राधिकारी (सिविल सर्जन) यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक स्वस्थता की दृष्टि से नियोजन में बने रहने के योग्य नहीं है। इस प्रयोजन के लिए डिवीजन प्रमुख जीडीएस को उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सरकारी अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देगा।

v. जीडीएस को उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा।

vi. विभाग की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

vii. लागू होने की तारीख, अनुरोध को स्वीकार किए जाने की तारीख होगी।

viii. यह योजना पूर्णत: स्वैच्छिक है और किसी भी जीडीएस पर इस योजना के तहत सेवा छोड़ने की बाध्यता नहीं होगी।

ix यह योजना ऐसे जीडीएस के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो पुट-ऑफ इयूटी पर हैं अथवा जिनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई, पुलिस संबंधी मामला अथवा न्यायालय में कोई मामला लम्बित है।

x. डिवीजन प्रमुख जीडीएस की सभी श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति को स्वीकार और अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

xi. सभी जीडीएस जो इस योजना की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर नियोजित हैं और सभी अन्य शर्तें पूरी करते/करती हैं, इस योजना का विकल्प दे सकते/सकती हैं।

xii. स्वैच्छिक रूप से सेवामुक्त किए जाने वाले जीडीएस के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना का लाभ लेने के इच्छुक जीडीएस से अनुबंध-।। में दर्शाए गए निर्धारित आवेदन-पत्र में इस आशय की घोषणा प्राप्त की जाएगी कि चिकित्सा के आधार पर सेवामुक्ति अनुरोध स्वीकार हो जाने के बाद, वह अपने किसी आश्रित सदस्य के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का दावा नहीं करेगा/करेगी।

(ग) **हकदारी -** सामान्य सेवामुक्ति लाभ, नियोजन की अवधि के अनुपात में होंगे। यदि जीडीएस, नियोजन अवधि के 10 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही नियोजन छोड़ देता है, तो वह कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा/होगी।

3. उपर्युक्त अनुदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

(एस. बी. व्यवहार)

सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (डाक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक, डाक सेवाएं के प्रधान निजी सचिव।
3. अपर महानिदेशक (समन्वय)/सदस्य (बैंकिंग)/सदस्य (प्रचालन)/सदस्य (कार्मिक)/ सदस्य (योजना एवं एचआरडी)/सदस्य (पीएलआई)/सदस्य (प्रौद्योगिकी) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
4. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार।
5. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल।
6. मुख्य महाप्रबंधक, बीडी एवं एम निदेशालय/पार्सल निदेशालय/पीएलआई निदेशालय।
7. निदेशक, आरएकेएनपीए/जीएम, सीईपीटी/सभी पीटीसी के निदेशक।
8. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, नई दिल्ली।
9. वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) और सीवीओ।
10. वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीएएफ)।
11. महानिदेशक डाक एवं तार (लेखापरीक्षा), सिविल लाइंस, नई दिल्ली।
12. सचिव, डाक सेवा बोर्ड/सभी उप महानिदेशक।
13. सभी महाप्रबंधक (वित्त)/निदेशक, डाक लेखा/डीडीएपी
14. डाक निदेशालय के सभी अनुभाग।
15. मान्यताप्राप्त सभी संघ/यूनियन/एसोसिएशन।
16. महाप्रबंधक, सीईपीटी को, भारतीय डाक की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
17. गार्ड फाइल।
18. अतिरिक्त प्रतियां

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

अनुबंध-I

ग्रामीण डाक सेवक द्वारा नियोजन से स्वैच्छिक सेवामुक्ति हेतु नोटिस

प्रेषक :

दिनांक : ....

सेवा में,

एसएसपीओ/एसएसआरएम/एसपीओ/एसआरएम,

------------------------------------- डिवीजन,

विषय : ग्रामीण डाक सेवक की नियोजन से स्वैच्छिक सेवामुक्ति मंजूर करने हेतु अनुरोध।

महोदया/महोदय,

मैंने ------------------------------ (नाम, पदनाम और कार्यालय) -------------------------- को नियोजन के -------------------- वर्ष पूरे कर लिए हैं। मैं एतद्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं ----------------को तीन माह की नोटिस अवधि समाप्त हो जाने पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति लेना चाहूँगा।

2. मैं वचन देता हूँ कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेरे स्वैच्छिक सेवामुक्ति अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, मैं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा।

3. अत:, आपसे अनुरोध है कि मुझे तीन माह के नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर अर्थात् -------------------------- को ग्रामीण डाक सेवक के पद से सेवामुक्त किया जाए।

जीडीएस के हस्ताक्षर--------------------

जीडीएस का नाम और पदनाम-----------------------

स्थान : ....

दिनांक : ....

अनुबंध-II

<u>ग्रामीण डाक सेवक द्‌वारा चिकित्सा आधार पर नियोजन से स्वैच्छिक सेवामुक्ति हेतु आवेदन</u>

प्रेषक :

दिनांक : ....

सेवा में,

एसएसपीओ/एसएसआरएम/एसपीओ/एसआरएम,

-- डिवीजन,

विषय: चिकित्सा आधार पर ग्रामीण डाक सेवक की नियोजन से स्वैच्छिक सेवामुक्ति मंजूर करने हेतु अनुरोध।

महोदया/महोदय,

मैं, अधोहस्ताक्षरी--- (नाम, पदनाम और कार्यालय) -------------------------- को नियोजन के ---------------------------- वर्ष पूरे कर चुका/चुकी हूँ। मैं -------------------------------- (रोग का नाम) से ग्रस्त हूँ। अत: मैं बीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवक की किसी भी प्रकार की ड्यूटी करने में असमर्थ हूँ।

2. मैं वचन देता/देती हूँ कि सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा मेरे स्वैच्छिक सेवामुक्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, मैं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

3. अतः, मैं अनुरोध करता हूँ कि ग्रामीण डाक सेवक के नियोजन से चिकित्सा के आधार पर मेरी स्वैच्छिक सेवामुक्ति को यथाशीघ्र अनुमोदित करने की कृपा करें।

जीडीएस के हस्ताक्षर--------------------

जीडीएस का नाम और पदनाम-----------------------

स्थान : ....

दिनांक : ....

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 02 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों की 'आकस्मिक' छुट्टी प्रदान करने के संबंध में कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को, जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 में यथा-निर्धारित तथा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधित नियोजन संबंधी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा करने के पश्चात नियमित आधार पर नियोजित ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों की 'आकस्मिक' छुट्टी प्रदान करने के संबंध में कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए आकस्मिक छुट्टी के विषय पर समेकित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जोकि निम्नानुसार हैं:-

(i) 'आकस्मिक' छुट्टी नियोजन की अवधि के एक पूरे कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों अथवा इसके अनुपात में छुट्टी प्रदान की जाएगी। आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान जीडीएस को लागू टीआरसीए दिया जाएगा।

(ii) जीडीएस को आकस्मिक छुट्टी किसी भी आकस्मिक/वैयक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाएगी।

(iii) एक बार में 02 दिन से ज्यादा की आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी। आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जाएगी।

(iv) आकस्मिक छुट्टी को न तो आगे ले जाया जा सकता है अथवा नहीं इसे भुनाया जा सकता है और न ही प्रदत्त छुट्टी के साथ इसे जोड़ा जा सकता है।

(v) आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान पड़ने वाले रविवारों और डाक अवकाशों की आकस्मिक छुट्टी के भाग के रूप में गिनती नहीं की जाती।

(vi) रविवारों/डाक अवकाशों को आकस्मिक छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ा जा सकता है।

(vii) बीपीएम के लिए डिवीजन कार्यालय से अथवा (एबीपीएम/डाक सेवक) के लिए उप डिवीजन कार्यालय वरिष्ठ पोस्टमास्टर/पोस्टमास्टर की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

(viii) परिणामी रिक्ति के लिए किसी भी पूर्णकालीन एवजी को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा और एक कर्मचारी वाले शाखा डाकघरों को छोड़कर, शाखा डाकघरों के कार्यों का संचालन संयुक्त कार्यभार सौंप कर किया जाएगा।

(ix) उन जीडीएस को आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी जो पुट ऑफ ड्यूटी पर हैं।

(x) वे सभी जीडीएस, जिन्हें आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर नियोजित किया गया है और जो अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों, इस छुट्टी का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

(xi) जब कोई जीडीएस एक बार में 02 दिन की आकस्मिक छुट्टी के बाद अनुपस्थित रहता है, तो उसके देय सवेतन छुट्टी खाते से पूरी अवधि काट ली जाएगी। यदि उसके पास सवेतन छुट्टी नहीं है, तो ऐसी देय छुट्टी की प्रतिशत अवधि को अप्राधिकृत अनुपस्थिति के रूप में माना जाएगा और जीडीएस इस अवधि के लिए टीआरसीए प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(xii) इस प्रकार की छुट्टी का लाभ लेने के लिए जीडीएस कारण बताते हुए छुट्टी संस्वीकृति प्राधिकारी को सादे कागज पर आकस्मिक छुट्टी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xiii) संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा जीडीएस द्वारा ली गई आकस्मिक छुट्टी का समुचित रिकॉर्ड निम्न प्रपत्र में रखना होगा।

<u>जीडीएस द्वारा ली गई आकस्मिक छुट्टी</u>

छुट्टी संस्वीकृत प्राधिकारी का
नाम एवं पदनाम :

क्रम सं.	जीडीएस का नाम	पदनाम	ली गई आकस्मिक छुट्टी					अभ्युक्ति, यदि कोई है
			5	4	3	2	1	
			तिथि	तिथि	तिथि	तिथि	तिथि	

3. इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आईडी टिप्पणी संख्या 14029/1/2017-स्थापना (छुट्टी) दिनांक 14.12.2018 के अंतर्गत उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

4. इस कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश 01.01.2019 से प्रभावी होंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (डाक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक, डाक सेवाएं के प्रधान निजी सचिव।
3. अपर महानिदेशक (समन्वय)/सदस्य(बैंकिंग)/सदस्य (प्रचालन)/सदस्य (कार्मिक)/सदस्य (योजना एवं एचआरडी)/सदस्य (पीएलआई)/सदस्य (प्रौद्योगिकी) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
4. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल।
5. मुख्य महाप्रबंधक, बीडी निदेशालय/पार्सल निदेशालय/पीएलआई निदेशालय।
6. निदेशक, आरएकेएनपीए/जीएम, सीईपीटी/सभी पीटीसी के निदेशक।
7. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
8. वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) और सीवीओ/वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीएएफ)।
9. महानिदेशक डाक एवं तार (लेखापरीक्षा), सिविल लाइंस, नई दिल्ली।
10. सभी उप महानिदेशक।
11. उप महानिदेशक (प्रौद्योगिकी) : एकल कर्मचारी वाले शाखा डाकघरों के मामले में एवजी को टीआरसीए प्रदान करने के प्रयोजन से सीएसआई सॉफ्टवेयर में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए।
12. सभी महाप्रबंधक (वित्त)/निदेशक, डाक लेखा/डीडीएपी
13. डाक निदेशालय के सभी अनुभाग।
14. मान्यताप्राप्त सभी संघ/यूनियन/एसोसिएशन।
15. महाप्रबंधक, सीईपीटी को, भारतीय डाक की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
16. गार्ड फाइल।
17. अतिरिक्त प्रतियां

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 4 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में कमलेश चंद्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में पत्र सं. 19-10/2004-जीडीएस दिनांक 17.07.2006 (ii) पत्र सं. 19-10/2004-जीडीएस (पार्ट) दिनांक 21/22.07.2010 (iii) पत्र सं. 19.10.2004-जीडीएस (पार्ट) दिनांक 19.03.2012 तथा पत्र सं. 19-10/2004-जीडीएस (पार्ट) दिनांक 10.04.2012 का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है।

2. सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में कमलेश चंद्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण डाक सेवकों के स्थानांतरण के संबंध में पूर्व सभी आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने ग्रामीण डाक सेवकों की सीमित स्थानांतरण सुविधा को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं :-

(क) स्थानांतरण की शर्तें

(i) पुरुष जीडीएस कार्मिकों के मामले में स्थानांतरण हेतु दिए जाने वाले अवसरों की संख्या 1 एवं महिला जीडीएस कार्मिकों के मामले में 2 है।

(ii) जीडीएस कार्मिक का स्थानांतरण उसके अपने अनुरोध पर तथा किसी रिक्त पद पर ही किया जा सकता है और इस स्थानांतरण का व्यय उसे स्वयं वहन करना होगा। इसके अंतर्गत शर्त यह होगी कि जीडीएस कार्मिक को अपनी पसंद के अनुसार उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) के गृह गांव में या गृह डिवीजन में या चिकित्सीय इलाज के लिए अनुशंसित स्थान पर ही स्थानांतरित किया जाएगा।

(iii) स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि संबंधित जीडीएस कार्मिक ने जीडीएस के पद पर नियमित नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की न्यूनतम

सेवा पूरी की हो। इसके अतिरिक्त, सत्यापन संबंधी सभी औपचारिकताएं जैसे जाति, शिक्षा, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि पूर्ण होनी चाहिएं।

(iv) ऐसे जीडीएस कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, जो पुट ऑफ ड्यूटी हैं, अथवा जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई, पुलिस या न्यायालयी मामला लंबित है।

(v) विभागीय परीक्षा में शामिल होने के साथ-साथ वार्षिक वेतन-वृद्धि के लिए पात्रता का आकलन करते समय नियोजन की पूर्व अवधि की गणना की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जीडीएस कार्मिक अपने नियोजन के पूर्व स्थान/भर्ती यूनिट/डिवीजन में जाने हेतु दावा नहीं कर सकते।

(vi) यदि किसी जीडीएस कार्मिक का स्थानांतरण उसके अपने अनुरोध पर हो तथा इस स्थानांतरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, तब स्थानांतति किए गए जीडीएस कार्मिक का स्थान, स्थानांतरण के आदेश की तारीख को, उसकी नई यूनिट में वरीयता सूची में मौजूद सभी जीडीएस कार्मिकों से नीचे होगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जब स्थानांतरण उसी नियोजन/भर्ती उप डिवीजन/यूनिट/डिवीजन में हुआ हो।

(vii) ग्रामीण डाक सेवकों को निम्नलिखित परिस्थितियों में उनके अनुरोध पर स्थानांतरित किया जा सकता है :-

(क) टीआरसीए स्लैब-3 में बीपीएम स्तर-2 से बीपीएम स्तर-2 में।

(ख) टीआरसीए स्लैब-2 में बीपीएम स्तर-1 से बीपीएम स्तर-1 में।

(ग) टीआरसीए स्लैब-2 में एबीपीएम/डाक सेवक स्तर-2 से एबीपीएम/डाक सेवक स्तर-2 में।

(घ) टीआरसीए स्लैब-1 में एबीपीएम/डाक सेवक स्तर-1 से एबीपीएम/डाक सेवक स्तर-1 में।

(viii) स्थानांतरण संबंधी अनुरोध के परिणामस्वरूप टीआरसीए स्लैब में कटौती नहीं होगी तथा जीडीएस द्वारा अर्जित वेतन-वृद्धियों की संख्या यथावत रहेगी।

(ख) सक्षम प्राधिकारी

(i) ग्रामीण डाक सेवकों का स्थानांतरण एक ही क्षेत्र में होने की स्थिति में क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल द्वारा तथा एक ही सर्कल में स्थानांतरण होने की स्थिति में सर्कल अध्यक्ष द्वारा

अनुमोदित किया जाएगा। एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानांतरण होने की स्थिति में दोनों सर्कलों के अध्यक्षों का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ग) स्थानांतरण की प्रक्रिया

(i) स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रतिवर्ष अप्रैल से जून के दौरान मंगाए जाने चाहिए।

(ii) इस संबंध में आवेदन अनुबंध-। के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में डिवीजन प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन, भर्ती/नियोजन इकाई/डिवीजन के प्रमुख द्वारा विधिवत अनुशंसित किए जाने के उपरांत प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) डिवीजन प्रमुख द्वारा सभी आवेदन उचित माध्यम से अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(iv) अनुबंध-।। के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सर्कल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/डिवीजन कार्यालय में अलग से एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें सभी श्रेणियों के जीडीएस कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध दर्ज किए जाएंगे।

(v) प्राप्त सभी आवेदनों को ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन की तिथि से वरिष्ठता के अनुसार क्रम में रखा जाएगा और स्थानांतरण संबंधी आदेश जुलाई माह के दौरान जारी किए जाएंगे।

3. उपरोक्त अनुदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

4. ये अनुदेश सभी संबंधित कार्मिकों के सूचनार्थ भारतीय डाक की वेबसाइट पर एम्पलॉइज कॉर्नर के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

अनुबंध-I

ग्रामीण डाक सेवक को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किए जाने हेतु आवेदन

1.	ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) का नाम	
2.	जीडीएस द्वारा धारित पद (उप-डिवीजन/डिवीजन/सर्कल के नाम सहित)	
3.	जीडीएस के रूप में नियमित नियोजन की तिथि	
4.	शैक्षणिक योग्यता	
5.	अविवाहित/विवाहित	
6.	मौजूदा टीआरसीए स्तर (स्लैब सहित)	
7.	वह पद, जिस पर स्थानांतरण अपेक्षित है (शाखा डाकघर/उप डाकघर/प्रधान डाकघर/क्षेत्रीय कार्यालय के नाम सहित)	
8.	उप डिवीजन/डिवीजन/सर्कल का नाम, जहां स्थानांतरण अपेक्षित है	
9.	स्थानांतरण अनुरोध का आधार	
10.	इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य कि चुना गया स्थान आवेदक/आवेदक के पति/पत्नी का गृह गांव/गृह डिवीजन अथवा चिकित्सा के लिए अनुशंसित स्थान है। कृपया, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करें :- 1 आधार कार्ड 2 पैन कार्ड 3 वोटर आईडी कार्ड 4 ड्राइविंग लाइसेंस 5 पासपोर्ट अथवा बिजली/पानी/गैस का बिल	
11.	मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री .... घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। मैं, डाक विभाग के समय-समय पर संशोधित का.ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 04.01.2019 के पैरा 2 के अनुसार सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूं। दिनांक स्थान जीडीएस के हस्ताक्षर (धारित पद सहित) -- श्री/श्रीमती/सुश्री .... के अपने व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन एवं अनुरोध की मेरे द्वारा जांच कर ली गई है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी द्वारा अपने आवेदन में प्रदान की गई सूचना सही है। साथ ही, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:- 1. उक्त जीडीएस विभाग को हुई किसी क्षति अथवा जालसाजी, आपराधिक मामले में लिप्त है/नहीं है : 2. उक्त जीडीएस के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित नही है :	
12.	स्थानांतरण की अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है	

दिनांक :-

डिवीजन स्टेशन प्रमुख
के हस्ताक्षर एवं पदनाम

<u>एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण की स्थिति में जीडीएस द्वारा घोषणा</u>

(i) मैं, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि .... से .... पर सीमित स्थानांतरण की स्थिति में मैं, उक्त यूनिट में तैनाती की तिथि को उस यूनिट के सभी जीडीएस कार्मिकों की ग्रेडेशन सूची में सबसे कनिष्ठ रहूंगा।

(ii) मैं, किसी यात्रा भत्ते अथवा ट्रांसिट का दावा प्रस्तुत नहीं करुंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने पुराने पद पर वापस जाने का दावा नहीं करुंगा। मैं समय-समय पर संशोधित इन शर्तों का भी पालन करुंगा।

स्थान : जीडीएस के हस्ताक्षर
दिनांक : (धारित पद सहित)

अनुबंध-II

ग्रामीण डाक सेवक के आउटगोइंग स्थानांतरण हेतु अनुरोध पंजीकृत करने का प्रारूप

क्रम सं.	प्रतीक्षा सूची में क्र.सं.	जीडीएस का नाम	श्रेणी	जीडीएस द्वारा धारित पद सहित डाकघर का नाम और टीआरसीए स्लैब	मौजूदा तैनाती के उप डिवीजन/ एचओ/ एसआरओ/ एचआरओ/ आरओ का नाम	जीडीएस के रूप में नियोजन की तिथि	आवेदित पद के साथ-साथ उप डिवीजन/ एचओ/ आरओ/ एसआरओ/ एचआरओ/ सर्कल एवं टीआरसीए स्लैब	डिवीजन का नाम, जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन की तिथि	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	स्थानांतरण का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ग्रामीण डाक सेवक के इनकमिंग स्थानांतरण हेतु अनुरोध पंजीकृत करने का प्रारूप

क्रम सं.	प्रतीक्षा सूची में क्र.सं.	जीडीएस का नाम	श्रेणी	जीडीएस द्वारा धारित पद सहित डाकघर का नाम और टीआरसीए स्लैब	मौजूदा तैनाती के उप डिवीजन/ एचओ/ एसआरओ/ एचआरओ/ आरओ का नाम	जीडीएस के रूप में नियोजन की तिथि	आवेदित पद के साथ-साथ उप डिवीजन/ एचओ/ आरओ/ एसआरओ/ एचआरओ/ सर्कल एवं टीआरसीए स्लैब	डिवीजन का नाम, जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन की तिथि	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	स्थानांतरण का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

सं. 17-08/2017-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 26.02.2019

सेवा में,

1. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल
2. मुख्य महाप्रबंधक, बीडी निदेशालय/पार्सल निदेशालय/पीएलआई निदेशालय
3. निदेशक, आरएकेएनपीए/जीएम, सीईपीटी/सभी पीटीसी के निदेशक
4. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
5. सभी महाप्रबंधक (वित्त)/निदेशक डाक लेखा/डीडीएपी।

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण।

मुझे आपका ध्यान ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन में दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में, इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 17-08/2017-जीडीएस दिनांक 21.06.2017 की ओर दिलाने का निदेश हुआ है।

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सर्कलों के अध्यक्षों और क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल से यह अपेक्षित है कि जीडीएस श्रेणियों में नियुक्ति के लिए, अन्य बातें समान होने पर, दिव्यांगजनों को तरजीह दी जाए। तथापि, उम्मीदवार की कार्य करने की क्षमता पर, निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि इन श्रेणियों के लिए कोई विशिष्ट पद आरक्षित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कोई रोस्टर आदि बनाया जाना अपेक्षित नहीं है। जहां तक संभव हो, दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व समूह 'ग' और 'घ' पदों पर लागू स्तर तक ही सीमित होना चाहिए।

3. अब, संसद ने एक अधिनियम अर्थात् "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" पारित किया है। यह 19 अप्रैल, 2017 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के प्रावधान सभी स्थापनाओं के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान, रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांगजन के विरुद्ध

भेदभाव नहीं कर सकता। प्रत्येक सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह के संवर्ग में रिक्तियों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से कम नियुक्ति नहीं करेगी और खण्ड (घ) और (ड.) के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए एक प्रतिशत के कम नियुक्ति नहीं करेगी। अर्थात्

(क) अंधापन और क्षीण दृष्टि।

(ख) बधिर एवं ऊंचा सुनाई देना।

(ग) चल दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास शामिल है।

(घ) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।

(ङ) खण्ड (क) से (घ) में दी गई दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पद में बधिर-अंधापन शामिल है।

4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसरण में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उपयुक्त व्यक्तियों के लिए ग्रामीण डाक सेवकों में पदों को चिन्हित करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित आदेश जारी किए जाते हैं :-

(क) सभी भर्ती प्राधिकारी जीडीएस पदों की सभी श्रेणियों के लिए दिव्यांगजनों के लिए बेंचमार्क "अंधापन" दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को छोड़कर 4% आरक्षण रखेंगे। जीडीएस पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के मामले में आरक्षण का यथाप्रतिशत बनाए रखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए यथा उपयुक्त जीडीएस के निर्धारण के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 'दृष्टिहीन' के बजाय 'क्षीण दृष्टि' श्रेणी पर विचार किया जा सकता है।

(ख) जीडीस की सभी श्रेणियों की नियमित नियुक्ति के मामले में यथा लागू दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।

(ग) इन प्रावधानों के लिए आरक्षण रोस्टर बनाना अपेक्षित नहीं है, बल्कि सभी भर्ती प्राधिकारी दिव्यांगजनों के आरक्षण के लिए एक रजिस्टर बनाकर रखेंगे, ताकि दिव्यांगजनों के आरक्षण का अपेक्षित प्रतिशत सुनिश्चित किया जा सके। रजिस्टर में नाम, पता, दिव्यांगता का प्रकार और नियोजन की तारीख जैसा ब्यौरा होगा।

(घ) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का अपेक्षित प्रतिशत बनाए रखने के लिए सभी भर्ती प्राधिकारी वर्ष में आरक्षण की समग्र सीमा से संबंधित मौजूदा अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए भावी नियोजन में इन श्रेणियों में जीडीएस के और अधिक पद आरक्षित रखेंगे।

(ङ) जीडीएस के पदों के लिए दिव्यांगता की निम्नलिखित श्रेणियां उपयुक्त हैं:

क्रम सं.	पदों का नाम	पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणी
1	बीपीएम/ एबीपीएम/ डाक सेवक	(क) क्षीण दृष्टि (एलवी) (ख) डी (बधिर) एचएच (ऊंचा सुनने वाले) (ग) एक भुजा (ओए) एक टांग (ओएल) ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित (घ) सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता बधिर और अंधापन को छोड़कर उपर्युक्त (क) से (घ) में उल्लिखित दिव्यांगता में से बहु दिव्यांगता।

5. इसका सख्ती से अनुपालन किया जाए। दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के प्रावधान का अनुपालन न करना अवज्ञा का कृत्य माना जाएगा और संबंधित सर्कल/क्षेत्र में दिव्यांगजनों के आरक्षण को सख्ती से लागू करने के लिए जिम्मेदार संबंधित नोडल अधिकारी के विरुद्ध चूक के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

6. आरक्षण की उपर्युक्त योजना 01.02.2019 को अथवा उसके बाद अधिसूचित की जाने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों के लिए जीडीएस की सभी श्रेणियों के संबंध में लागू होगी।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
ई मेल: adggds@indiapost.gov.in
दूरभाष सं. 011-23096629

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठ के अनुसार ।

सं. 17-16/2019-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 21.05.2019

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल

विषय :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आरंभ की गई ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत, जीडीएस के रूप में नियोजन हेतु अंकों की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को महानिदेशक, डाक के पत्र सं. 17-39/2012-जीडीएस दिनांक 08.01.2014 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आरंभ की गई ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत, जीडीएस के रूप में नियोजन हेतु अंकों की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

2. अनेक सर्कलों ने निदेशालय से पूर्ववर्ती अंकीय प्रणाली और विभिन्न बोर्डों द्वारा आरंभ की गई वर्तमान ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत अंकों की समतुल्यता के मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है ताकि जीडीएस के पदों पर चयन किया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की स्थिति के अनुसार, जीडीएस के समान पद के लिए दोनों प्रकार के उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, अर्थात् जिन उम्मीदवारों ने अपनी स्कूली परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं तथा वे उम्मीदवार जिन्होंने समान परीक्षा में ग्रेड प्राप्त किए हैं। चूंकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का ही चयन किया जाना है, अत: दोनों ही प्रकार की प्रणालियों, अर्थात् ग्रेडिंग प्रणाली और अंक प्रणाली के मध्य समतुल्यता के मानदण्ड को निर्धारित किया जाना है।

3. उपरोक्त मामले के संबंध में, महानिदेशक, डाक के उपरोक्त पत्र में जारी किए गए स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई और निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

जीडीएस के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यदि अंक अथवा ग्रेड प्राप्त करने वाले हों, तो दोनों मामलों में कुल प्राप्तांक निकालने की पद्धति निम्नानुसार होगी :-

क) अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए, वर्तमान पद्धति जारी रहेगी अर्थात् उनके द्वारा अनिवार्य और इलेक्टिव/वैकल्पिक विषयों (अतिरिक्त विषयों के अलावा, यदि कोई हो) में प्राप्त किए गए अंकों को ध्यान में रखते हुए उनके कुल प्राप्तांक निकाले जाएंगे।

ख) विषय-वार ग्रेड प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मामले में, प्रत्येक विषय (अनिवार्य और इलेक्टिव विषय, किन्तु अतिरिक्त विषय नहीं) के अंक, 9.5 का गुणज लागू करते हुए निम्नलिखित तरीके से निकाले जाएंगे :-

ग्रेड	ग्रेड अंक	गुणज
A1	10	9.5
A2	9	9.5
B1	8	9.5
B2	7	9.5
C1	6	9.5
C2	5	9.5
D	4	9.5

(ग) जिन मामलों में संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) भी दिया गया है, वहां सीजीपीए को 9.5 से गुणा करके अंक प्राप्त किए जाएंगे। जिन मामलों में, प्रत्येक विषय में अलग-अलग ग्रेड के साथ-साथ, सीजीपीए भी दिया गया है, वहां दोनों में से उच्चतर अंकों पर विचार किया जाएगा। दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में, अधिक आयु वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

(घ) उक्त मानदण्ड उन सभी मामलों में अपनाए जाएंगे, जहां चयन पैनल तैयार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।

4. सभी संबंधितों को इस पत्र का परिचालन किया जाए, ताकि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेली. 011-23096629
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-09/2019-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 26/02/2019

सेवा में,

1. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल
2. मुख्य महाप्रबंधक,बीडी निदेशालय/ पार्सल निदेशालय/ पीएलआई निदेशालय
3. निदेशक, आरएकेएनपीए/ महाप्रबंधक, सीईपीटी/ सभी डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के निदेशक
4. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, आरके पुरम, नई दिल्ली
5. सभी महाप्रबंधक (वित्त)/निदेशक डाक लेखा/ डीडीएपी

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण।

निदेशालय के पत्र सं. 19-11/97-ईडी एवं टीआरजी, दिनांक 27.11.1997 के अनुसार, ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के नियोजन में अ.ज./अजजा/अपिव के लिए आरक्षण हेतु सभी सर्कलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

2. हाल ही में, निदेशालय के ज्ञापन सं.3-1/2019-एससीटी, दिनांक 08.02.2019 के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था. (रिस) को परिचालित किया गया है। यह ज्ञापन, केन्द्रीय सरकार के नियमित स्थापना के पदों पर सीधी भर्ती में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में है। इन दिशानिर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के जो व्यक्ति अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षण योजना में कवर नहीं

8

किए गए हैं, उन्हें डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा।

3. वे व्यक्ति जिन्हें अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रूपए (केवल आठ लाख रूपए) से कम है, आरक्षण के लाभ हेतु उन्हें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिह्नित किया जाएगा। आय में, आवेदन के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के दौरान के स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से प्राप्त आय शामिल होगी।

4. साथ ही, वे व्यक्ति 'जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक संपत्ति है, उन्हें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा, चाहे उनके परिवार की आय कितनी भी क्यों न हो:-

(i) 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि;
(ii) 1000 वर्गफुट या इससे अधिक का रिहाइशी फ्लैट
(iii) अधिसूचित निगम क्षेत्रों में 100 वर्ग गज क्षेत्रफल या इससे अधिक का रिहाइशी भू-खंड
(iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्रफल का रिहाइशी भू-खंड

4.1 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण हेतु भू-खंड अथवा धारित संपत्ति की जांच के दौरान, आवेदक के "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपति को भी ध्यान रखा जाएगा।

4.2 इस प्रयोजन हेतु "परिवार" की परिभाषा में, आरक्षण के लाभ का इच्छुक व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के उसके भाई-बहन तथा उसका पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

5. **आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी तथा प्रमाणपत्र का सत्यापन**

5.1 ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ, प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही लिया जा सकेगा। ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवार से प्रमाणपत्र के रूप में, अनुबंध-। में दिए निर्धारित प्रोफार्मा में, निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण ही स्वीकार किया जाएगा:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट/ उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी, जिसका रैंक तहसीलदार से कम न हो तथा

(iv) उस क्षेत्र का उप-डिवीजनल अधिकारी जहां पर उम्मीदवार तथा/ अथवा उसका परिवार सामान्यतया रहता है।

5.2 प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने तथा सभी संगत दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक सत्यापित करने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5.3 उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि, उस पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी, सिवाए उन मामलों के जहां अंतिम तिथि अन्यथा निर्धारित की गई है।

5.4 नियोजन प्राधिकारी को ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए नियोजन प्रस्ताव में निम्नलिखित वाक्यांश शामिल करना होगा:-

"यह नियोजन अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा आय और संपत्ति प्रमाणपत्र सत्यापित कराए जाने के अध्यधीन है। सत्यापन करने पर यदि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा जाली/मिथ्या पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए तथा जाली/मिथ्या

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी"।

नियोजन प्राधिकारी को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से करनी चाहिए।

5.5 ऊपर संदर्भित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ताकि मिथ्या दावे के आधार पर कोई अनैतिक व्यक्ति रोजगार प्राप्त न कर सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मिथ्या दावे के आधार पर रोजगार प्राप्त करता है, तो नियोजन प्रस्ताव में निहित शर्तों के मद्देनजर उनका नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

6. **आरक्षण लागू करना - रजिस्टरों का रखरखाव**

6.1 निदेशालय ने अपने पत्र सं. 19-11/97-ईडी एवं टीआरजी दिनांक 27.11.1997 के तहत पद आधारित आरक्षण लागू करने के संबंध में अनुदेश जारी किए थे। पद आधारित आरक्षण लागू करने संबंधी सामान्य सिद्धांत, उक्त पत्र में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार होंगे।

6.2 प्रत्येक डिवीजन / उप डिवीजन / अन्य उप नियुक्ति प्राधिकरण अब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को भी लागू करेगी ऐसा अजा, अजजा और अपिव के साथ इन्हें जोड़कर किया जाएगा।

6.3 यदि किसी भर्ती वर्ष में ईडब्ल्यूएस वर्ग का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस के लिए निर्दिष्ट रिक्ति को नहीं भरा जा सका तो उस भर्ती वर्ष विशेष की ऐसी रिक्तियों को आगामी भर्ती वर्ष में 'बैक लॉग' के रूप में नहीं माना जाएगा।

6.4 ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्ति, जिनका चयन दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित कोटा के लिए किया गया है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

7. **अनारक्षित रिक्तियों पर समायोजन**

ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिभागी बनने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ईडब्ल्यूएस से संबंधित जिन व्यक्तियों का चयन आरक्षण के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर होता है, उन व्यक्तियों की गणना, आरक्षण कोटा के अंतर्गत नहीं की जाए।

8. **उदाहरण**- नीचे एक ऐसे सर्कल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें, पहली पंक्ति में दर्शाए गए प्रतिशत का अनुपालन किया जा रहा है:

		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस
संवर्ग में पदों की संख्या	100	40	16	22	12	10
वास्तविक प्रतिनिधित्व	85	45	12	19	09	-
आधिक्य/कम	15	+5	-4	-3	-3	-10
घोषित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या	15	6	2	3	2	2

9. **सर्कलों द्वारा शिकायत रजिस्टर का रखरखाव**

9.1 प्रत्येक सर्कल, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) को शिकायत निपटान अधिकारी तथा संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

9.2 रोजगार में ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रति भेदभाव संबंधी किसी प्रकार के मामले को, संबंधित सर्कल के शिकायत निपटान अधिकारी के पास शिकायत के रूप में दर्ज कराया सकता है। शिकायत निपटान अधिकारी का नाम, पदनाम तथा संपर्क विवरण वेबसाइट तथा मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

10. आरक्षण की उपरोक्त योजना, 01.02.2019 को अथवा इसके बाद अधिसूचित की जाने वाली जीडीएस की सभी श्रेणियों के लिए, सीधी भर्ती की रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगी।

11. 01.02.2019 को अथवा इसके पश्चात जीडीएस की सभी रिक्तियों को भरे जाने के लिए, सर्कलों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
ईमेल- adggds@indiapost.gov.in
दूरभाष 011-23096629

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठ के अनुसार ।

अनुबंध-I

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं. दिनांक: ....

वर्ष .... के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...राज्य/संघ राज्यक्षेत्र .... डाकघर .... ग्राम/गली .... जिला.................... पिन कोड .... की स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे प्रमाणित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उनके परिवार•• की वित्तीय वर्ष .... के लिए कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपए (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है:-

i. 5 एकड़ अथवा उससे अधिक कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं से इतर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

2 श्री/श्रीमती/कुमारी ...., ... जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (केन्द्रीय सूची)के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटोग्राफ

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

•टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि

संख्या 17-08/2017-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 08.03.2019

सेवा में

1. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल / पोस्टमास्टर जनरल।
2. मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय / पार्सल निदेशालय / पीएलआई निदेशालय।
3. निदेशक, आरएकेएनपीए / जीएम, सीईपीटी / सभी डाक प्रशिक्षण केंद्रों के निदेशक।
4. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
5. सभी महाप्रबंधक (वित्त) / निदेशक डाक लेखा / डीडीएपी।

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों के नियोजन में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण ।

उपर्युक्त विषय पर, महानिदेशक डाक के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.02.2019 के क्रम में, उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 (ई) के संबंध में स्पष्टीकरण:

(i) जीडीएस के पदों पर नियोजन के लिए दिव्यांगजन के लिए आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	**पदों का नाम**	**पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियां**	**प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रतिशत**
1.	बीपीएम/ एबीपीम/ डाक सेवक	(क) क्षीण दृष्टि (एलवी); → (ख) डी (बधिर), एचएच ऊंचा सुनने वाले → (ग) एक भुजा (ओए), एक टांग (ओएल) → ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित (घ) **सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता** → उपर्युक्त (क) से (घ) में उल्लिखित दिव्यांगताओं में से बहु दिव्यांगता, बधिर एवं दृष्टिहीनता को छोड़ कर	01% 01% 01% 01%

2. इसके अलावा, नियोजन के किसी चक्र / वर्ष में, कोई रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले स्थानापन्न व्यक्ति के उपलब्ध न होनें अथवा अन्य किन्हीं पर्याप्त कारणों से नहीं भरी जा सकती है, तो ऐसी रिक्ति उत्तरवर्ती नियोजन के चक्र वर्ष में जोड़ दी जाएगी। यदि उत्तरवर्ती नियोजन चक्र / वर्ष में भी बेंचमार्क दिव्यांगता/युक्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, तो इसे पहले उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल किया जा सकता है और जब उस चक्र / वर्ष में इस पद के लिए कोई भी दिव्यांगजन उपलब्ध न हो, तो नियोजन प्राधिकारी उस व्यक्ति को दिव्यांगजन से इतर अन्य व्यक्ति का नियोजन करके भरेंगे।

3. सभी संबंधित उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष: 011-23096629
ई-मेल: adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि:

अंग्रेजी पाठ के अनुसार

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 07.05.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में कमलेश चंद्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को, ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में, कमलेश चंद्र समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी दिनांक 04.01.2019 के महानिदेशक डाक के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ग्रामीण डाक सेवकों और दिव्यांग/मानसिक रूप से मंद आश्रितों वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के अंतर्गत छूट की अवधि 3 वर्ष से घटा कर 1 वर्ष किए जाने के संबंध में संदर्भ/सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने दिव्यांगजन श्रेणी के ग्रामीण डाक सेवकों और दिव्यांग/ मानसिक रूप से मंद आश्रितों वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के अंतर्गत छूट को 3 वर्ष से घटा कर 1 वर्ष किए जाने पर विचार कर इसे अनुमोदित कर दिया है। ऐसे अपवादस्वरूप असाधारण मामलों को, महानिदेशक डाक के दिनांक 04.01.2019 के समसंख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से, संबंधित जीडीएस कार्मिक के स्थानांतरण हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विस्तारपूर्वक जांच करने के उपरांत ही स्वीकार किया जाएगा।

3. महानिदेशक डाक के दिनांक 04.01.2019 के समसंख्यक का.ज्ञा. के अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस.बी.व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-37/2018-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 08.05.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में हड़ताल की अवधि का समाधान (ट्रीटमेंट)।

अधोहस्ताक्षरी को महानिदेशक, डाक के पत्र सं. 22-04/2004-जीडीएस दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जो ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 23 में विनिर्दिष्ट ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में हड़ताल की अवधि के समाधान के संबंध है।

2. डाक सेवा बोर्ड ने 11 फरवरी, 2019 को हुई अपनी तीसरी बैठक में जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 23 के उल्लंघन के मामले में हड़ताल के समाधान से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की। डाक सेवा बोर्ड ने हड़ताल की अवधि के समाधान के संबंध में पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुमोदित किए है :-

(i) हड़ताल की अवधि के परिणामस्वरूप, न केवल हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति की अवधि के लिए मात्र टीआरसीए की कटौती की जाएगी, बल्कि भड़काने, हिंसा और तोड़फोड़ आदि के कारण नियोजन में व्यवधान (ब्रेक) भी होगा। जो जीडीएस उपर्युक्त प्रकार के कृत्य में भाग लेते हैं, वे जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 23 का उल्लंघन करते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यह भी नोट किया जाए कि हड़ताल की परिभाषा के अंतर्गत कवर होने वाली ऊपर बताई गई गतिविधियां उदाहरणार्थ हैं। यहां केवल उन्हीं गतिविधियों के बारे में स्पष्ट किया गया है जिनके लिए प्राय: ऐसे मौजूदा अवसरों का सहारा लिया जाता है।

(ii) ऐसे जीडीएस, जो हड़ताल में शामिल होने के लिए नियोजन के घंटों के दौरान अनुपस्थित होते हैं, वे टीआरसीए, महंगाई भत्ते, बोनस, वेतन सहित छुट्टी आदि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) हड़ताल की अवधि को किसी प्रकार की छुट्टी देकर समायोजित अथवा विनियमित नहीं किया जाएगा।

(iv) यदि, भड़काने, हिंसा और तोड़फोड़ करने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के बाद इसका विशेष रूप से आदेश दिया जाता है, तो हड़ताल की अवधि के कारण सेवा में व्यवधान भी होगा।

(v) नियोजन से सेवामुक्ति के समय जीडीएस उपदान, सेवा-विच्छेद राशि के भुगतान के लिए हड़ताल की अवधि को नियोजन अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा।

(vi) जीडीएस का मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) में आमेलन करने के लिए हड़ताल की अवधि को नियोजन अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा, जोकि वरीयता के आधार पर किया जाता है।

(vii) डाक सहायक/छंटाई सहायक/पोस्टमैन/मेलगार्ड/मल्टी-टास्किंग स्टाफ आदि के संवर्ग के लिए एलडीसीई में शामिल होने के लिए, हड़ताल की अवधि को जीडीएस की नियोजन अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. ऐसे जीडीएस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के पैरा (i) से (vii) के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

4. ये अनुदेश इसे जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेली. 011-23096629
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 17.05.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : डाक विभाग की महिला ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा।

अधोहस्ताक्षरी को, डाक विभाग में महिला ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा आरंभ किए जाने हेतु डाक विभाग के दिनांक 27 जून, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. महिला ग्रामीण डाक सेवकों को मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु संदर्भ/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि महिला ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों/सहायक शाखा पोस्टमास्टरों/डाक सेवकों के मामले में 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी, संबंधित डिवीजन प्रमुख होंगे।

3. डाक विभाग के दिनांक 27.06.2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(एस.बी.व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

संख्या 17-11/2019-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 04.06.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय भाषा के प्रावधान के संबंध में।

मुझे इस निदेशालय के दिनांक 08.03.2019 के पत्र सं. 17-02/2018-जीडीएस का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अंतर्गत आदेशों के पैरा II(ii) में जीडीएस के पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय भाषा का प्रावधान विहित किया गया है।

2. डाक विभाग के आदेश सं. 17-02/2018-जीडीएस दिनांक 08.03.2019 के तहत कई भाषाओं का प्रावधान किए जाने के कारण समस्याओं का सामना करने के संबंध में सर्कलों से पत्र प्राप्त हुए हैं। सर्कलों के समक्ष आ रही समस्याओं और कई स्थानीय भाषाओं के स्थान पर केवल एक ही स्थानीय भाषा के प्रयोग किए जाने संबंधी अनुरोध को ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए हैं:-

क्र.सं.	सर्कल का नाम	डाक सर्कल के तहत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	डाक सर्कल के लिए स्थानीय भाषा
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश और यनम	तेलुगू
2.	असम	असम (बारक घाटी के तीन जिलों और बोडो लैंड प्रादेशिक परिषद के क्षेत्रों को छोड़कर)	असमिया
		बारक घाटी के तीन जिले	बंगाली
		बोडो लैंड प्रादेशिक परिषद के क्षेत्र	बोडो
3.	बिहार	बिहार	हिंदी
4.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	हिंदी
5.	दिल्ली	दिल्ली	हिंदी
6.	गुजरात	गुजरात	गुजराती
		दादरा एवं नगर हवेली	
		दमन और दीव	
7.	हरियाणा	हरियाणा	हिंदी

8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिंदी
9.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर	उर्दू, हिंदी
10.	झारखंड	झारखंड	हिंदी
11.	कर्नाटक	कर्नाटक	कन्नड
12.	केरल	केरल, लक्षद्वीप और माहे	मलयालम
13.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	हिंदी
14.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	मराठी
		गोवा	कोंकणी
15.	पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	हिंदी/अंग्रेजी
		मणिपुर	मणिपुरी
		मेघालय	हिंदी/अंग्रेजी
		मिजोरम	मिजो
		नगालैंड	हिंदी/अंग्रेजी
		त्रिपुरा	बंगाली
16.	ओडिशा	ओडिशा	उड़िया
17.	पंजाब	पंजाब	पंजाबी
	चंडीगढ़ (चंडीगढ़)	चंडीगढ़	हिंदी/अंग्रेजी
18.	राजस्थान	राजस्थान	हिंदी
19.	तमिलनाडु	तमिलनाडु	तमिल
		पुदुच्चेरी (माहे और यनम को छोड़कर)	तमिल
20.	तेलंगाना	तेलंगाना	तेलुगू
21.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	हिंदी
22.	उत्तराखंड	उत्तराखंड	हिंदी
23.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	बंगाली
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हिंदी/अंग्रेजी
		सिक्किम	नेपाली

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एसबी व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष सं. 011-23096629
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि : अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

संख्या 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 10.06.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम-31 के अंतर्गत शाखा पोस्टमास्टरों और सहायक शाखा पोस्टमास्टरों/डाक सेवकों के लिए **'नियोजन प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की अनुसूची'** पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के भर्ती प्राधिकरण की अनुसूची के संबंध में जीडीएस के नियम-31 का हवाला देने का निदेश हुआ है

2. शाखा पोस्टमास्टरों और सहायक शाखा पोस्टमास्टरों/डाक सेवकों के लिए **'नियोजन प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की अनुसूची'** पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने संलग्न अनुबंध के अनुसार जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम-31 में प्रतिस्थापन्न को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए **'नियोजन प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की संशोधित अनुसूची'** शामिल है।

3. उपर्युक्त अनुदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(एसबी व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष सं. 011-23096629
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि :

1. सचिव (डाक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक डाक सेवाएं के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. अपर महानिदेशक (समन्वय)/सदस्य (बैंकिंग)/ सदस्य (प्रचालन)/ सदस्य (कार्मिक)/ सदस्य (योजना एवं मानव संसाधन विकास)/सदस्य (डाक जीवन बीमा)/ सदस्य (प्रौद्योगिकी) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।

3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार।
4. सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल / पोस्टमास्टर जनरल।
5. मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय/ पार्सल और विपणन निदेशालय/ डाक जीवन बीमा निदेशालय।
6. निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
7. अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा, नई दिल्ली।
8. वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) और मुख्य सतर्कता अधिकारी/वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीएएफ)।
9. सभी महाप्रबंधक (वित्त)/निदेशक डाक लेखा/डीडीएपी।
10. महानिदेशक, डाक एवं संचार (लेखापरीक्षा), सिविल लाइंस, नई दिल्ली।
11. सचिव, डाक सेवा बोर्ड / सभी उप महानिदेशक।
12. मुख्य अभियंता (सिविल), डाक विभाग।
13. सभी अनुभाग।
14. महाप्रबंधक, सीईपीटी इस कार्यालय ज्ञापन को भारतीय डाक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. गार्ड फाइल।

(एसबी व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष सं. 011-23096629
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

अनुबंध

ग्रामीण डाक सेवक के लिए नियोजन प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की अनुसूची

क्र.सं.	सेवा का विवरण	नियोजन प्राधिकारी	डाक विभाग के का.ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 23.04.2019 के तहत जारी जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम-9 के संदर्भ में शास्ति लगाए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी तथा उनके द्वारा लगाई जाने वाली शास्तियां		अपीलीय प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर	उप अधीक्षक डाकघर (उन डिवीजनों के मामले में जिनके प्रमुख निदेशक डाक सेवाएं/ पोस्टमास्टर जनरल हैं), यदि उपलब्ध हों, अन्यथा डिवीजन प्रमुख।	उप अधीक्षक डाकघर (उन डिवीजनों के मामले में जिनके प्रमुख निदेशक डाक सेवाएं/ पोस्टमास्टर जनरल हैं), यदि उपलब्ध हों, अन्यथा डिवीजन प्रमुख।	सभी	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ पोस्टमास्टर जनरल, निदेशक डाक सेवाएं
			उप डिवीजन के सहायक अधीक्षक/ डाक निरीक्षक	(i) से (v) तक	उप अधीक्षक डाकघर (उन डिवीजनों के मामले में जिनके प्रमुख निदेशक डाक सेवाएं/ पोस्टमास्टर जनरल हैं), यदि उपलब्ध हों, अन्यथा डिवीजन प्रमुख।
2.	ग्रामीण डाक सेवक सहायक शाखा पोस्टमास्टर/डाक सेवक	(i) क, ख और ग श्रेणी के कार्यालयों को छोड़कर प्रधान डाकघरों/ मुख्य डाकघरों और एचएसजी/ एलएसजी मानक आधारित डाकघरों में वरिष्ठ	अपने कार्यालयों में वरिष्ठ पोस्टमास्टर/ उप मुख्य पोस्टमास्टर/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ अन्य सभी कार्यालयों में निरीक्षक डाकघर/ सहायक अधीक्षक डाकघर	सभी	निदेशक डाक सेवाएं/ पोस्टमास्टर जनरल सहित डिवीजन प्रमुख

		पोस्टमास्टर/उप मुख्य पोस्टमास्टर/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ पोस्टमास्टर/ उप पोस्टमास्टर (ii) अन्य सभी कार्यालयों में निरीक्षक डाकघर/ सहायक अधीक्षक डाकघर। मानक आधारित डाकघरों में वरिष्ठ पोस्टमास्टर/उप मुख्य पोस्टमास्टर/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ पोस्टमास्टर/ उप पोस्टमास्टर (ii) अन्य सभी कार्यालयों में निरीक्षक डाकघर/ सहायक अधीक्षक डाकघर	क, ख और ग श्रेणी के कार्यालयों को छोड़कर प्रधान डाकघरों/ मुख्य डाकघर और एचएसजी/ एलएसजी मानक आधारित डाकघरों में पोस्टमास्टर/उप पोस्टमास्टर	(i) से (v) तक	
3.	रेल मेल सेवा डाक सेवक	निरीक्षक/सहायक अधीक्षक, रेल मेल सेवा, मुख्य अभिलेख अधिकारी/ उप अभिलेख अधिकारी	निरीक्षक/ सहायक अधीक्षक, रेल डाक सेवा	सभी	निदेशक डाक सेवाएं / पोस्टमास्टर जनरल सहित डिवीजन प्रमुख
			मुख्य अभिलेख अधिकारी (अपने कार्यालय में)/ उच्च चयन ग्रेड/ निचला चयन ग्रेड (अपने कार्यालय में) उप अभिलेख अधिकारी।	(i) से (v) तक	

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001
दिनांक: 21.06.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : एकल कर्मचारी वाले शाखा डाकघरों में संयुक्त ड्यूटी से संबंधित कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

एकल कर्मचारी वाले शाखा डाकघरों में संयुक्त ड्यूटी से संबंधित कमलेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट की निम्नलिखित अनुमोदित सिफारिशों की जांच की गई है:

(i) कमलेश चन्द्र समिति की सिफारिशों के पैरा 11.49.16 के अनुसार, "किसी कार्यालय के जीडीएस को संयुक्त ड्यूटी उसी कार्यालय में अथवा केवल उसी कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालय में दी जानी चाहिए"।

(ii) कमलेश चन्द्र समिति की सिफारिशों को पैरा 11.49.15 के अनुसार, महानिदेशक (डाक) के अनुदेशों के अनुसार सभी एकल कर्मचारी वाले जीडीएस डाकघरों को एक और कर्मचारी प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि संयुक्त ड्यूटी के मामलें न्यूनतम स्तर तक लाए जा सकें।

2. एकल कर्मचारी वाले शाखा डाकघरों में संयुक्त ड्यूटी से संबंधित कमलेश चनद्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुमोदन किया है:-

(i) किसी कार्यालय के जीडीएस को उसी कार्यालय में अथवा केवल उसी कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालय में संयुक्त ड्यूटी दी जानी चाहिए।

(ii) सर्कल, आवश्यकता के अनुरूप डिवीजन/रीजन/सर्कल में उपलब्ध सरप्लस जीडीएस स्टाफ में से, एकल कर्मचारी वाले शाखा डाकघर को एक और जीडीएस मुहैया कर सकता है, ताकि संयुक्त ड्यूटी के मामलों को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सके। इस संबंध में, पत्र सं. 17-103/2007-जीडीएस/। दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 के तहत जारी निदेशालय के अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

3. उपर्युक्त अनुदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष : 011-23096629
Email- adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001
दिनांक: 25.06.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 10 के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप नियम 10-क (सेवा-मुक्ति के बाद शास्ति लगाने की प्रक्रिया) में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 में जीडीएस की सेवा-मुक्ति के बाद शास्ति लगाने की प्रक्रिया से संबंधित जीडीएस के नियम 10-क का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम 10 में परिशोधन के परिणामस्वरूप, जीडीएस के संशोधित नियम 10 में उप पैरा 10-क से 10-ड. तक समाविष्ट हैं और जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2011 नियम-10-क (सेवा-मुक्ति के बाद शास्ति लगाने की प्रक्रिया) में विद्यमान है। अतएव, सक्षम प्राधिकारी ने ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2011 के नियम 10-क के नाम को नियम 10-च के रूप में परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया है।

3. नियम 10-क जिसे अब नियम-10 च के रूप में नया नाम दिया गया है, की सभी अंतर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

4. उपर्युक्त अनुदेश, दिनांक 07.05.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जिसके तहत दीर्घ और लघु शास्ति लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष : 011-23096629
Email- adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठ के अनुसार ।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 26.06.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 12 की समीक्षा।

अधोहस्ताक्षरी को पुट ऑफ ड्यूटी के संबंध में ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 12 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए पुट ऑफ ड्यूटी से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापन को अनुमोदन प्रदान किया है, जोकि इस विषय पर पूर्व सभी अनुदेशों/आदेशों के अधिक्रमण में होगा :-

"12. पुट ऑफ ड्यूटी"

(1) नियोजन प्राधिकारी अथवा कोई ऐसा प्राधिकारी, जिसके अधीनस्थ नियोजन प्राधिकारी है, अथवा कोई भी अन्य प्राधिकारी जिसे सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है, निम्नलिखित मामलों में ग्रामीण डाक सेवक को पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है ;

(क) यदि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी विचाराधीन है अथवा लंबित है; अथवा

(ख) यदि उसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में जांच अथवा मुकदमा चल रहा है।

यह इस शर्त के अध्यधीन है कि धोखाधड़ी अथवा गबन के मामले में, इन नियमों की अनुसूची में उल्लिखित किसी भी पद पर कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक को, निरीक्षक (डाक) अथवा उप डिवीजन के सहायक अधीक्षक (डाकघर), जैसा भी मामला हो, के द्वारा नियोजन प्राधिकारी को तत्काल सूचित करते हुए पुट ऑफ ड्यूटी किया जा सकता है।

2. जिन मामलों में संबंधित उप डिवीजन के निरीक्षक (डाकघर) अथवा सहायक अधीक्षक (डाकघर) नियोजन प्राधिकारी नहीं हैं, उनमें उप नियम (1) के तहत उनके द्वारा जारी किए गए आदेश, ऐसे आदेश जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएंगे यदि नियोजन प्राधिकारी अथवा वह प्राधिकारी, जिसके अधीनस्थ नियोजन प्राधिकारी है, के द्वारा उक्त आदेशों को पहले ही संपुष्ट अथवा निरस्त न कर दिया गया हो।

3. पुट ऑफ ड्यूटी की अवधि के दौरान संबंधित ग्रामीण डाक सेवक, प्रतिमाह देय महंगाई भत्ते के साथ समय संबद्ध निरंतरता भत्ते के 25 प्रतिशत के समतुल्य अनुग्रह भुगतान की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि जिन मामलों में पुट ऑफ ड्यूटी की अवधि 90 दिन से अधिक होगी, उनमें पुट ऑफ ड्यूटी करने संबंधी आदेश जारी करने वाला नियोजन प्राधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ अधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, पहले 90 दिन की अवधि के बाद (किसी भी अवधि के लिए) प्रतिपूर्ति राशि में निम्नानुसार परिवर्तन हेतु सक्षम होगा :-

(i) यदि उक्त प्राधिकारी इस राय का हो कि पुट ऑफ ड्यूटी की अवधि ऐसे कारणों से (इन कारणों का उल्लेख लिखित में किया जाएगा) बढ़ी है, जिनके लिए संबंधित जीडीएस कार्मिक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, तो वह अनुग्रह भुगतान के रूप में देय प्रतिपूर्ति राशि में उपयुक्त वृद्धि कर सकता है, परंतु यह वृद्धि पहले 90 दिनों की अवधि के दौरान देय प्रतिपूर्ति राशि के 50 % से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि उक्त प्राधिकारी इस राय का हो कि पुट ऑफ ड्यूटी की अवधि ऐसे कारणों से (इन कारणों का उल्लेख लिखित में किया जाएगा) बढ़ी है, जिनके लिए संबंधित जीडीएस कार्मिक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, तो वह अनुग्रह भुगतान के रूप में देय प्रतिपूर्ति राशि में उपयुक्त कटौती कर सकता है, परंतु यह कटौती पहले 90 दिनों की अवधि के दौरान देय प्रतिपूर्ति राशि के 50 % से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1 - मंहगाई भत्ते की दर उपर्युक्त उप खंड (i) और (ii) के अंतर्गत देय घटाई या बढ़ाई गई प्रतिपूर्ति राशि पर आधारित होगी।

टिप्पणी 2 - पुट ऑफ इयूटी के लिए प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन नहीं होगा कि संबंधित ग्रामीण डाक सेवक किसी अन्य नौकरी, कारोबार, व्यवसाय अथवा रोजगारोन्मुखी कार्य (वोकेशन) में शामिल नहीं है ;

यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसा ग्रामीण डाक सेवक, जिसकी कोई सूचना नहीं है अथवा जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है और उसे पुट ऑफ इयूटी कर दिया जाता है, वह अनुग्रह भुगतान के रूप में किसी प्रतिपूर्ति राशि को पाने का पात्र नहीं होगा;

यह इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि यदि किसी ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) (जिसे पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया गया हो) के मामले में दीर्घ शास्ति लगाने हेतु विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई हो, परंतु ऐसी कार्रवाई के अंत में उसके विरुद्ध लघु शास्ति लगाई जाती है, तो ऐसे जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी की समस्त अवधि के लिए समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) और अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

4. जिन मामलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब इस नियम के अंतर्गत किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी कर उसे नियोजन से बर्खास्त करने अथवा हटाने की शास्ति के आदेश को इन नियमों के अंतर्गत अपील या समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान रद्द कर दिया जाता है और ऐसे मामले को किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ आगे और जांच या कार्रवाई के लिए वापस भेजा जाता है, उनमें पुट ऑफ ड्यूटी करने का आदेश नियोजन से बर्खास्तगी या हटाए जाने के मूल आदेश की तारीख से लागू माना जाएगा और तब तक लागू रहेगा, जब तक कि इस मामले में अन्य आदेश नहीं हो जाते।

5. जिन मामलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब किसी ग्रामीण डाक सेवक को नियोजन से बर्खास्त करने या हटाने की शास्ति के आदेश को किसी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है (या किसी न्यायालयी निर्णय के परिणामस्वरूप यह निर्णय रद्द हो जाता है) और अनुशासनिक प्राधिकारी, इस मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस संबंध में ग्रामीण डाक सेवक के विरुद्ध लगाए गए उन आरोपों, जिनके आधार पर उसके विरुद्ध नियोजन से बर्खास्त करने या हटाए जाने की शास्ति

लगाई गई थी, की आगे और जांच का निर्णय लेता है, उनमें संबंधित जीडीएस को नियोजन प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी या नियोजन से हटाए जाने की तारीख से पुट ऑफ ड्यूटी माना जाएगा और वह इस मामले में अगले आदेश आने तक पुट ऑफ ड्यूटी रहेगा।

बशर्ते कि आगे और जांच करने का उक्त आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा मामले की मेरिट पर विचार किए बिना पूर्णतः तकनीकी आधार पर कोई आदेश जारी न कर दिया गया हो।

टिप्पणी :- किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी पर रखने की अवधि (पुट ऑफ ड्यूटी की मानित अवधि सहित) के संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में नए सिरे से कार्रवाई संपन्न किए जाने के बाद लिया जाएगा और संबंधित अवधि के लिए अनुग्रह भुगतान के रूप में प्रतिपूर्ति राशि का मामला उप नियम (3) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होगा। किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी करने के परिणामस्वरूप हुए सेवा में व्यवधान (ब्रेक) का मामला केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर जारी संगत नियमों के अंतर्गत नियंत्रित होगा।

टिप्पणी :- इस नियम के अंतर्गत किसी सेवक को किए गए भुगतान, अनुग्रह भुगतान के रूप में उसे पहले भुगतान की जा चुकी प्रतिपूर्ति राशि के समायोजन के अध्यधीन होंगे।

6. उपरोक्त अनुदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

(एस.बी.व्यवहार)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 26.06.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 21 में संशोधन के पश्चात कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 21 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 21 में संशोधन के पश्चात कमेलश चन्द्र समिति की सिफारिशों पर विचार करने पर तथा ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 21 से संबंधित सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 21 में निम्नलिखित प्रतिस्थापन को अनुमोदन प्रदान किया है:-

"21. प्रत्येक ग्रामीण सेवक को सदैव:-

(i) पूर्ण सत्यनिष्ठा का पालन करना होगा;
(ii) कर्तव्यपरायणता का पालन करना होगा; तथा
(iii) ऐसा कोई कृत्य नहीं करना होगा जो सेवक के लिए अशोभनीय हो।"

"21-क. तत्परता और शिष्ट व्यवहार :-

कोई भी ग्रामीण सेवक :

(i) सरकारी कार्यों के निष्पादन में, अभद्र व्यवहार नहीं करेगा;
(ii) जनसाधारण के साथ सरकारी कामकाज में अथवा अन्यथा रूप से कार्य को विलम्बकारी तरीके से नहीं अपनाएगा अथवा उसे सौंपे गए कार्यों के निपटान में जानबूझ कर विलम्ब नहीं करेगा।

21-ख. कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर रोक :-

(i) कोई भी ग्रामीण डाक सेवक, किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं करेगा।

(ii) प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक, जो कार्यस्थल का प्रभारी है, ऐसे कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण :- 1. इस नियम के प्रयोजन हेतु :-

(क) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कृत्य या व्यवहार (प्रत्यक्ष रूप से अथवा विवक्षित रूप से) शामिल हैं :-
अर्थात् :-

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या

(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; अथवा

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना।

(ख) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में होती है या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी:-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार या विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

(ग) **"कार्यस्थल"** के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है:-

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णत: या भागत:, उसके द्वारा प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) हॉस्पिटल या परिचर्या गृह;

(iii) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;

(iv) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी/जीडीएस द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(v) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

3. उपर्युक्त अनुदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 01.07.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के लिए सामाजिक सुरक्षा हित लाभों के संबंध में जीडीएस समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को इस निदेशालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.06.2018 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें उपर्युक्त विषय पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया गया था।

2. सक्षम प्राधिकारी ने अब सेवा-विच्छेद राशि और जीडीएस उपदान के भुगतान में निम्नलिखित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया है। ये भुगतान अब **01.07.2018 के बजाय 01.01.2016 से किए जाएंगे,** जैसाकि नीचे उल्लिखित है:-

क्रम सं.	योजना	मौजूदा हितलाभ	संशोधित हितलाभ
1.	जीडीएस उपदान (पूर्व में अनुग्रह उपदान)	अनुग्रह उपदान का नाम बदलकर **'जीडीएस उपदान'** कर दिया गया है। अनुग्रह उपदान प्रदान करने के लिए मौजूदा फॉर्मूला जारी रहेगा। इसकी अधिकतम राशि एक लाख पचास हजार रुपए (1,50,000/- रु.) होगी।	डाक विभाग के समसंख्यक का. ज्ञा. दिनांक 27.06.2018 में उल्लिखित किसी अन्य नाम और अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जीडीएस उपदान की संशोधित दर (अर्थात अधिकतम सीमा 1,50,000/- रु.)* का भुगतान 01.07.2018 के बजाय 01.01.2016 से किया जाएगा।

2.	सेवा-विच्छेद राशि	सेवा-विच्छेद राशि का भुगतान 01.01.2016 से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 4000/- रु. की दर से किया जाएगा। सेवा-विच्छेद राशि की अधिकतम सीमा एक लाख पचास हजार रुपए (1,50,000/- रु.) होगी। सेवा विच्छेद राशि केवल उन्हीं जीडीएस के मामले में लागू होगी जिन्होंने सेवा-विच्छेद राशि योजना में बने रहने का विकल्प चुना है और सेवा-मुक्ति हितलाभ योजना (एसडीबीएस) को नहीं अपनाया है और निरन्तर सेवा में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।	डाक विभाग के समसंख्यक का. ज्ञा. दिनांक 27.06.2018 में उिल्लखित अन्य नामों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेवा-विच्छेद राशि का भुगतान 01.01.2016 से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 4000/- रु. की दर से किया जाएगा। सेवा-विच्छेद राशि की संशोधित दर (अर्थात अधिकतम सीमा 1,50,000/- रु.) का भुगतान 01.07.2018 के बजाय 01.01.2016 से किया जाएगा।

* जीडीएस उपदान की अंतर राशि (अर्थात 1,50,000/- रु. - 60,000/-) = @90,000/- रु. का भुगतान उन जीडीएस को किया जाएगा जो **01.01.2016 से 30.06.2018** के बीच सेवा-मुक्त हुए हैं, क्योंकि उन्हें जीडीएस अनुग्रह उपदान का भुगतान 60,000/- रु. की पुरानी दर से किया गया है।

** सेवा-विच्छेद राशि की अंतर राशि (अर्थात 4,000/- रु. - 1500/- रु.) = @2500/- रु. का भुगतान नियोजन के 01.01.2016 से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उन जीडीएस को किया जाएगा जो 01.01.2016 से 30.06.2018 के बीच सेवा-मुक्त हुए हैं, क्योंकि उन्हें नियोजन के 01.01.2016 से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए @1500/- रु. की पुरानी दर से भुगतान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 1,50,000/- रु. है।

उपर्युक्त योजनाओं के लिए सभी अन्य मौजूदा पात्रता शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ये सभी जीडीएस पर लागू होंगी।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से, उनके आईडी नोट सं. 3(1)/ई-V/2018 दिनांक 05.04.2018 और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की डायरी सं. 37/2019 एफए-सीएस दिनांक 01.07.2019 के तहत जारी किया जाता है।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।